



Training of Master Trainers

1st October 2022

AGRICULTURE CENSUS 2021-22

**MANUAL OF INSTRUCTIONS
FOR
DATA COLLECTION SCHEDULE (Phase-I)**



**Government of Madhya Pradesh
Department of Farmers Welfare and Agriculture
Development, Bhopal**

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
खंड क : सामान्य दिशानिर्देश		
1	परिचय	2
2	उद्देश्य	2-3
3	कृषि संगणना 2021-22 में नई पहलें	3
4	संदर्भ वर्ष	3
5	नियमावली	3-4 ✓
6	समय सारणी	4
7	आंकड़ा संग्रह पद्धति	4-5
8	भूमि अभिलेखों का अद्यतन	5
9	प्रशिक्षण	5-8
10	फील्डवर्क	8-9
11	आंकड़ा प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने का चैनल	9-10
12	ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी	10-11
13	राज्य समन्वय समितियों (एसएलसीसी) का गठन	11
14	प्रचार-प्रसार	11
15	क्षेत्र मापन के लिए इकाइयाँ	11-12
16	अंकों की लिपि	12
17	स्पष्टीकरण की मांग	12
खंड ख : भूमिका और जिम्मेदारियाँ		
18	आंकड़ा संग्रह में हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	
	18.1 राज्य, कृषि संगणना इकाई	14
	18.2 प्रशासक	14
	18.3 पर्यवेक्षक	14-15
	18.4 प्रगणक	15
खंड ग : आंकड़ा संग्रह के लिए निर्देश		
19	विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए गतिविधियों का प्रवाह आरेख	17-18
20	कृषि संगणना पोर्टल तक पहुँच संबंधी निर्देश	18
21	उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए सिस्टम प्रशासक के लिए निर्देश	19-21
22	पर्यवेक्षक को संवीक्षा कार्य करने के निर्देश	21
23	प्रगणकों को निर्देश	22-24
24	प्राथमिक कार्यकर्ताओं को अनुसूचियाँ भरने के निर्देश	24-37
खंड घ : अनुबंध		

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
अनुबंध -I	ब्लॉक ए 1 से ब्लॉक बी की अनुसूचियां	39-40
अनुबंध -II	ब्लॉक सी से ब्लॉक ई की अनुसूचियां	41-42
अनुबंध -III	ब्लॉक एफ1 से ब्लॉक एफ4 की अनुसूचियां	43
अनुबंध -IV	तालिका -1 : जोतों की संख्या और क्षेत्र	44-46
अनुबंध -V	अवधारणाएं और परिभाषाएं	47-52
अनुबंध -VI	विभिन्न पार्सल्स की पूलिंग प्रक्रिया	53
अनुबंध -VII	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और अन्य स्पष्टीकरण	54-57

खंड-क : सामान्य दिशानिर्देश

1. परिचय

1.1 कृषि संगणना देश में कृषि सांख्यिकी के संग्रह की व्यापक प्रणाली का हिस्सा है। यह देश में कृषि क्षेत्र की संरचना के बारे में मात्रात्मक जानकारी के संग्रह और व्युत्पत्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय प्रचालन है। कृषि संगणना के माध्यम से, देश में कृषि प्रचालन जोतों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बुनियादी डेटा एकत्र करने का प्रयास किया जाता है। कृषि के विकास के लिए सूक्ष्म स्तर पर निर्णय लेने के लिए एक कृषि प्रचालन जोत अंतिम इकाई होती है। यही कारण है कि कृषि की संरचना का वर्णन करने के लिए एक प्रचालन जोत को डेटा संग्रह की सांख्यिकीय इकाई के रूप में लिया जाता है। कृषि संगणना के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का एकत्रीकरण प्रशासनिक इकाइयों के विभिन्न स्तरों, जैसे, गांव/तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक, जिला, राज्य और पूरे भारत में किया जाता है।

1.2 आवधिक कृषि संगणना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रचालन जोत की बुनियादी विशेषताओं जैसे भूमि उपयोग और फसल पैटर्न, सिंचाई और किरायेदारी विवरण के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हैं। यह जानकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित विभिन्न आकार के जोत और सामाजिक समूहों द्वारा सारणीबद्ध की जाती है, जो विकास योजना, सामाजिक-आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। संगणना कृषि सांख्यिकी की एक व्यापक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली के विकास के लिए आधार प्रदान करती है और राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के विभिन्न घटकों के साथ संबंध रखती है।

1.3 देश में कृषि संगणना की पूरी परियोजना तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित की जाती है, जो सांख्यिकीय रूप से एक साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन कृषि सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। चरण- I में, देश भर में संपूर्ण गणना के आधार पर एकत्र किए गए विभिन्न प्रचालन जोतों, सामाजिक समूह, महिला किसान, किरायेदारी की स्थिति, जोत के प्रकार आदि जैसे मालिकों / प्रचालन धारकों की प्रचालन होल्डिंग्स की प्राथमिक विशेषताओं जैसे जोतों की संख्या और क्षेत्र पर डेटा। चरण- II में, प्रत्येक तहसील (उप-जिला) में चयनित 20% नमूना गांवों से जोत की विशेषताओं जैसे फसल पैटर्न, सिंचाई की स्थिति आदि पर डेटा एकत्र किया जाता है। तीसरे चरण में, प्रत्येक तहसील (उप-जिला) में 7% नमूना गांवों की चयनित जोतों से प्रचालन जोतों के इनपुट उपयोग पैटर्न पर डेटा एकत्र किया जाता है।

2. उद्देश्य:

2.1 कृषि संगणना डेटा का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा विकास योजना, सामाजिक-आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए किया जाता है। कृषि संगणना के मुख्य उद्देश्य हैं:

2.1.1 प्रचालन जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, भूमि उपयोग, फसल पैटर्न, इनपुट उपयोग के पैटर्न आदि के आधार पर कृषि क्षेत्र की संरचना और विशेषताओं का वर्णन करना।

2.1.2 न्यूनतम भौगोलिक स्तर (जिला/गांव/तहसील (उप-जिला)) तक बैचमार्क डेटा प्रदान करना, जो कि नए कृषि विकास कार्यक्रम तैयार करने और उनकी प्रगति के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

2.1.3 भविष्य के कृषि सर्वेक्षण करने के लिए प्रचालन जोत का सांख्यिकीय ढांचा प्रदान करना।

3. कृषि संगणना 2021-22 में नई पहल।

3.1 कृषि संगणना 2021-22 में शुरू की गई नई पहलें इस प्रकार हैं:

3.1.1 डिजिटलीकरण और उपलब्धता की स्थिति के आधार पर डिजीटल भूमि अभिलेखों का उपयोग।

3.1.2 स्मार्टफोन/टैबलेट/लैपटॉप/पर्सनल कंप्यूटर जैसे हैंड-हेल्ड डिवाइस का उपयोग करके ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का संग्रह।

3.1.3 गैर-भू-अभिलेख राज्यों में चरण-I में सभी गांवों की पूर्ण गणना जैसा कि भूमि अभिलेख राज्यों में किया गया है।

3.1.4 चरण I में स्वामित्व और किरायेदारी की स्थिति पर नए डेटा आइटम का संग्रह।

3.1.5 प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग संदर्भ अवधि। ✓

3.1.6 चरण-I के लिए ग्राम स्तर पर डेटा का प्रसार। ✓

3.1.7 वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा/सॉफ्टवेयर की प्रगति और अपलोडिंग/डाउनलोडिंग की वास्तविक समय पर निगरानी।

3.2 इन उपायों से चरण I में भूमि पार्सल के इकाई स्तर पर बढ़ी हुई गति और सटीकता के साथ डेटा संग्रह सक्षम होगा। यह सूची भारत में ऑपरेशनल होल्डर्स का एक पूरा फ्रेम होगी। कम प्रतिलेखन और एकत्रीकरण त्रुटियों के कारण डेटा की सटीकता में काफी सुधार होने की उम्मीद है। प्राथमिक डेटा संग्रह की निगरानी में भी तेजी आएगी, साथ ही विभिन्न आईसीटी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से डेटा का प्रसार भी होगा।

4. संदर्भ वर्ष

4.1 कृषि संगणना के लिए, चरण-I, II और III में डेटा संग्रह के लिए संदर्भ अवधि निम्नानुसार होगी:

चरण	संदर्भ अवधि
I	1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 100%
II	1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 20%
III	1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 07%

5. नियमावली

5.1 यह निर्देश मैनुअल कृषि संगणना 2021-22 के चरण-I के कार्यक्रम की फाइलिंग करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करेगा। यह समान रूप से पालन की जाने वाली अवधारणाओं,

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

पृष्ठ 3

परिभाषाओं और प्रक्रियाओं, संगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण की रूपरेखा और पर्यवेक्षण की प्रकृति पर एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा। इन दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जानी चाहिए, जब वे वास्तव में डेटा संग्रह के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से पहले क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रसारित किया जाना चाहिए। यह निर्देश मैनुअल फील्ड कार्य शुरू करने से पहले सभी फील्ड कर्मियों को वितरित किया जाना चाहिए।

6. समय सारिणी

6.1 कृषि संगणना 2021-22 के चरण-I को कार्यान्वित करने के लिए अस्थायी कार्यक्रम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	काम की मद	समय
i)	राज्य कृषि संगणना आयुक्तों की बैठक का आयोजन।	जुलाई, 2022
ii)	प्रौद्योगिकी भागीदार और डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा सॉफ्टवेयर/तकनीकी मुद्दों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।	अगस्त, 2022
iii)	सॉफ्टवेयर/तकनीकी मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण	अगस्त, 2022
iv)	चरण-I डेटा के संग्रह के लिए फील्ड कार्य।	अगस्त-दिसम्बर, 2022
v)	सफाई/सत्यापन और चरण-I डेटा का प्रसंस्करण	जनवरी-जून, 2023
vi)	संगणना के चरण-I आउटपुट तालिकाओं को अंतिम रूप देना और उनका प्रसार करना।	मार्च-जून 2023

7. आंकड़ा संग्रह पद्धति

7.1 विभिन्न आकार-वर्गों, सामाजिक समूहों, जेंडर, जोत के प्रकार और काश्तकारी की स्थिति के अनुसार स्वामित्व/प्रचालन जोत की संख्या और क्षेत्रफल के आंकड़े देश भर के सभी गांवों में पूरी गणना होने पर एकत्र और संकलित किए जाएंगे।

7.2 भूमि अभिलेख राज्यों में, ग्राम भूमि अभिलेखों में उपलब्ध सूचनाओं के पुनः सारणीकरण (या निकाले गए डेटा का उपयोग करके) के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा और प्राथमिक कार्यकर्ता की जानकारी के आधार पर या आवश्यक स्थानीय पूछताछ के आधार पर छूटी हुई जानकारी को अपडेट किया जाएगा। इसमें प्रत्येक गांव के सभी सर्वेक्षण नंबर शामिल होंगे और वहां से जोतों की सूची तैयार की जाएगी। गैर-भूमि रिकॉर्ड राज्यों में, स्वामित्व के निकाले गए/मैनुअल डेटा, यदि उपलब्ध हो, का उपयोग कृषि संगणना के लिए आवश्यक जानकारी के पुनः सारणीकरण के लिए किया जाएगा और छूटे हुए डेटा को घर-घर पूछताछ दृष्टिकोण के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

7.3 कुछ जोतें पूरी तरह से गांव के भीतर स्थित नहीं हो सकती हैं और अन्य गांवों में फैली हो सकती हैं। स्वामित्व/प्रचालन जोतों की सूची तैयार करने के लिए एक से अधिक गांवों में बिखरी हुई कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

जोतों का आवश्यक मिलान करना होता है। एक जोत किसी गांव/तहसील (उप-जिला)/जिला/राज्य की सीमा के आर-पार हो सकती है। पिछली संगणनाओं की तरह, स्वामित्व/प्रचालन जोत के सभी पार्सल के पूलिंग के लिए तहसील (उप-जिला) बाहरी सीमा होगी। यदि कोई जोत एक से अधिक तहसीलों (उप-जिले) में फैली हुई है, तो जोत का वह भाग जो स्वामी/प्रचालन धारक के निवास की तहसील (उप-जिला) के बाहर स्थित है, को पृथक जोत माना जाएगा।

7.4 आंशिक-जोत की पूलिंग के उद्देश्य से, जो मानदंड अपनाया जाना है, वह मालिक/ऑपरेशनल होल्डर का निवास है, लेकिन यह केवल उन धारकों पर लागू होगा जो तहसील (उप-जिला) के भीतर रह रहे हैं। तथापि, यदि मालिक/संचालक तहसील (उप-जिला) के बाहर निवास कर रहा है तो, संगणना के प्रयोजन के लिए, उसे उस गांव का निवासी स्वामी/संचालक माना जाएगा जहाँ उसकी जोत स्थित है, और उस गांव में उसकी जोत एक अलग स्वामित्व/प्रचालन जोत के रूप में माना जाएगा। आंशिक-जोत को मालिकों/ऑपरेशनल होल्डर्स के निवास के गांव में पूल किया जाना है। गांव के लिए तालिका-1 तैयार करने से पहले आंशिक जोत की आवश्यक पूलिंग की जानी चाहिए (अनुलग्नक-IV में प्रारूप)। एक बार तालिका-1 बन जाने के बाद, इसका अर्थ है कि उस स्तर पर आंशिक जोत की पूरी गणना हो गई होगी और एक गांव के स्वामित्व/प्रचालन जोत की सूची वहाँ के निवासी मालिकों/किसानों की होगी। एक स्वामित्व/प्रचालन जोत के विभिन्न पार्सल की पूलिंग की प्रक्रिया की चर्चा अनुबंध-VI में की गई है।

8. भूमि अभिलेखों का अद्यतन

8.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे संदर्भ वर्ष 2021-22 के लिए ग्राम भूमि अभिलेखों को अद्यतन करें। यह आशा की जाती है कि इससे जुड़े सभी कार्य जुलाई, 2022 तक कृषि संगणना के क्षेत्र कार्य की वास्तविक शुरुआत से पहले पूरे हो चुके होंगे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि संदर्भ वर्ष के लिए सभी उत्परिवर्तन को क्षेत्र कार्य की शुरुआत से पहले ध्यान में रखा गया होगा और भूमि अभिलेखों में ऐसे उत्परिवर्तनों के अद्यतनीकरण का पता लगाने के लिए विशेष जांच किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि कृषि संगणना के आंकड़ों की गुणवत्ता भूमि अभिलेखों में निहित आंकड़ों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संदर्भ वर्ष 2021-22 के भूमि अभिलेखों में सभी अद्यतित डेटा ठीक से दर्ज किए गए हैं।

9. प्रशिक्षण

9.1 वास्तविक क्षेत्रीय कार्य के संचालन से पहले प्राथमिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ पर्यवेक्षी अधिकारियों दोनों को गहन प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्राथमिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक राज्य की स्थितियों के आधार पर 2/3 स्तरों पर की जा सकती है। पर्यवेक्षक के रूप में कृषि संगणना प्रचालन के प्रभारी जिला/ब्लॉक/तहसील (उप-जिला) स्तर के अधिकारियों को शुरू में या तो राज्य मुख्यालय या मंडल मुख्यालय में प्रशिक्षित किया जा सकता है। बदले में उन्हें प्राथमिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना भारत सरकार को अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए ताकि कृषि संगणना प्रभाग, डीए एंड एफूडब्ल्यू के एक

अधिकारी को फील्डवर्क के दौरान पालन की जाने वाली अवधारणाओं, परिभाषाओं या प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण के दौरान उठाए गए किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए तैनात किया जा सके।

9.2 डीएण्डएफडब्ल्यू संगणना को लागू करने में सीधे तौर पर शामिल सभी राज्य कृषि संगणना अधिकारियों के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और डेटा संग्रह के दौरान प्राथमिक के साथ-साथ पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रशिक्षण वीडियो भी प्रदान करेगा।

9.3 प्रशिक्षुओं को स्थानीय भाषा में निर्देश पुस्तिका की प्रतियां अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए आने से पहले मैनुअल और शेड्यूल को पढ़ने का निर्देश दिया जा सकता है। यह प्रशिक्षुओं द्वारा डेटा संग्रह की अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं को आसानी से समझने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रशिक्षु प्रशिक्षण सब में तैयार होकर किसी भी संदेह, जो मैनुअल को पढ़ने के दौरान उत्पन्न हो सकता है, के स्पष्टीकरण के लिए आ सकते हैं।

9.4 संगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान शामिल किए जाने वाले बिंदु:

प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में स्पष्टीकरण/विस्तार शामिल होना चाहिए:

- i. गांव में मालिक और प्रचालन धारक दोनों के सभी सर्वेक्षण नंबरों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।
- ii. ग्राम भूमि अभिलेखों (या डिजिटल भूमि अभिलेखों से निकाले गए डेटा का उपयोग) और छूटे हुए क्षेत्रों के अद्यतन से डेटा के पुनः सारणीकरण की प्रक्रिया।
- iii. पालन की जाने वाली अवधारणाओं और परिभाषाओं में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए अनुसूची के संपूर्ण प्रारूप को मद-वार स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- iv. वास्तविक और कानूनी स्थिति के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि स्वामित्व होल्डिंग्स के लिए जानकारी एकत्र करते समय प्राथमिक श्रमिकों को प्रचालन जोतों और कानूनी स्थिति के लिए जानकारी एकत्र करते समय वास्तविक स्थिति को समझना होगा।
- v. संगणना में प्रयुक्त स्वामित्व/प्रचालन जोत (संयुक्त/व्यक्तिगत/संस्थागत) और अन्य अवधारणाओं की अवधारणाओं और परिभाषाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- vi. डेटा संग्रह/निगरानी आदि के लिए ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग की प्रक्रिया।
- vii. ऐप/सॉफ्टवेयर और इससे जुड़े चरणों के माध्यम से डेटा संग्रह के लिए हैंड-हेल्ड डिवाइस के उपयोग पर उचित निर्देश।
- viii. डेटा संग्रह में स्मार्टफोन/टैबलेट/लैपटॉप/पर्सनल कंप्यूटर जैसे हैंड-हेल्ड उपकरणों के उपयोग पर सभी प्राथमिक कार्यकर्ताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- ix. डेटा जमा करने की प्रक्रिया, डेटा की जांच और सुधार (यदि पर्यवेक्षकों द्वारा कोई त्रुटि देखी जाती है या संदर्भित की जाती है), प्रगति की निगरानी, लंबित स्थिति की जांच और गांव टी -1 तालिका (डेटा की शुद्धता) तैयार करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करना विस्तार से समझाया जाए।

9.5 प्रशिक्षण में शामिल की जाने वाली कुछ प्रक्रियाओं की रूपरेखा इस प्रकार है:

9.5.1 स्वामित्व/प्रचालन जोतों की पूरी सूची संगणना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्वामित्व/प्रचालन जोतों की सूची संकलित करना है। संकलन करते समय, कर्मों को मूल ग्राम रिकॉर्ड में सभी सर्वेक्षण नंबरों को देखना होगा, जैसे 'खतौनी' या 'स्वामित्व जोत और 'खसरा रजिस्टर' और/या कोई अन्य समकक्ष स्थानीय संस्करण, और देखना होगा कि क्या गांव के सभी भौगोलिक क्षेत्र कवर हैं। कोई भी व्यक्ति 'खतौनी' और 'खसरा रजिस्टर' को आधार के रूप में मान सकता है और मालिक द्वारा धारित और प्रचालन धारक द्वारा संचालित सभी सर्वेक्षण संख्याओं/उप-सर्वेक्षण संख्याओं को वर्गीकृत कर सकता है। भले ही डेटा संग्रह के दौरान निकाले गए डेटा का उपयोग किया जाता है, डेटा को संकलित करते समय भौतिक और साथ ही डिजिटाइज्ड भूमि रिकॉर्ड का उल्लेख करना चाहिए और गांव के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का पूरा कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाए कि प्राथमिक कार्यकर्ता/पर्यवेक्षी कर्मचारी न केवल अपनी जानकारी का उपयोग करें बल्कि गांव के जानकार व्यक्ति से भी परामर्श करें या संबंधित क्षेत्रों को भरने और अद्यतन करने से पहले आवश्यक स्थानीय पूछताछ करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गुणवत्तापूर्ण डेटा एकत्र किया गया है।

9.5.2 भूमि रिकॉर्ड के अभाव में, प्राथमिक कार्यकर्ता को गांव के प्रत्येक घर का दौरा करना होता है और गांव के सभी घरों के स्वामित्व और संचालित सभी क्षेत्रों को रिकॉर्ड करना होता है और गांव के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कवरेज सुनिश्चित करना होता है चाहे वह संचालित है या नहीं। उदाहरण के लिए, गांव के उत्तर-पश्चिमी कोने से, घरों की सभी पंक्तियों से दक्षिण-पूर्वी कोने की ओर जाते हुए, डेटा एकत्र करते समय इसका पालन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान गांव में पूरी जोत एकत्र करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया जाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑपरेशन के दौरान गांव का कोई क्षेत्र छूटे नहीं, कर्मों गांव के जानकार व्यक्ति से परामर्श कर सकता है और पीएम-किसान योजना के तहत नामांकित सभी किसानों की ग्रामवार सूची का उपयोग भी कर सकता है।

9.5.3 संस्थागत जोत: संस्थागत जोत को भी कृषि संगणना में शामिल किया जाना है। सहकारी खेतों सरकारी खेतों, गन्ना कारखानों के खेतों, कंपनियों के स्वामी द्वारा संचालित चाय बागानों/बागानों, सहकारी खेतों, ट्रस्टों द्वारा किराए के मजदूरों के माध्यम से प्रबंधित मंदिर की भूमि आदि जैसे जोतों को संस्थागत जोत के रूप में माना जाना चाहिए। वे भूमि, जो संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को पट्टे पर दी जाती हैं, तथापि, व्यक्तिगत जोत के रूप में मानी जानी चाहिए। व्यक्तियों के स्वामित्व वाले/संचालित बागानों/चाय बागानों आदि को भी व्यक्तिगत जोत के रूप में माना जाना चाहिए। प्रशिक्षण कक्षाओं में संस्थागत जोत की अवधारणा को विस्तार से समझाया जा सकता है।

9.5.4 आंशिक जोत के पूलिंग के लिए मानदंड: जहां एक से अधिक गांवों में एक जोत फैलती है, सवाल उठता है कि क्षेत्र का हिसाब कहां रखा जाए। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, मालिक/परिचालन धारक का निवास अंश-जोत के क्षेत्र के लेखांकन के लिए मानदंड होना चाहिए। स्वामित्व/संचालित पूरे क्षेत्र को पूल करके उसके निवास के गांव के सामने दिखाया जाएगा। प्राथमिक कार्यकर्ता को अनुबंध-VI में दिए गए उदाहरण का उपयोग करते हुए आंशिक जोत के चकबंदी के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

9.5.5 अवधारणाएं और परिभाषाएं: वर्तमान संगणना में उपयोग की जाने वाली स्वामित्व/प्रचालन जोत और अन्य अवधारणाओं की परिकल्पनाओं और परिभाषाओं को प्राथमिक कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षी अधिकारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इन अवधारणाओं को अनुबंध-V में समझाया गया है।

9.5.6 भरे जाने वाले फॉर्म: फील्ड स्टाफ द्वारा भरे जाने वाले फॉर्मों पर ऐप/सॉफ्टवेयर में विभिन्न ब्लॉकों के संबंध में विशिष्ट निर्देश देते हुए पूरी तरह से चर्चा की जानी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए विस्तृत निर्देश इस मैनुअल के खंड ग में दिए गए हैं।

9.5.7 इकाइयों की प्रणाली और अंकों की लिपि: भले ही क्षेत्र (हेक्टेयर) के मापन के लिए मीट्रिक प्रणाली का उपयोग करना बेहतर है, राज्य स्थानीय इकाइयों का उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अनुसूचियों को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र की इकाई, जिसे ऐप/सॉफ्टवेयर में भरना या अपडेट करना है, एक तहसील (उप-जिला) के भीतर एक समान होना चाहिए और दशमलव प्रणाली का उपयोग अंशों को व्यक्त करने के लिए किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 3 बीघा 4 बिस्वा को 3.04 बीघा लिखा जा सकता है। एक तहसील (उप-जिला) (स्ट्रेटम) के भीतर क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों का उपयोग कम्प्यूटरीकृत सारणीकरण में कठिनाइयाँ पैदा करता है। शेड्यूल भरने के लिए केवल अरबी अंकों अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग किया जाना चाहिए।

10. फील्डवर्क:

10.1 चूंकि एंड्रॉइड या वेब एप्लिकेशन का उपयोग करके सभी गांवों से मालिक/प्रचालनात्मक धारक की सभी जोतों की पूर्ण गणना के आधार पर डेटा एकत्र किया जाना है, इसलिए संबंधित नोडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभाग को गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर सभी प्राथमिक कामगारों/पर्यवेक्षकों को गांवों को सौंपने/आबंटित करना चाहिए। सभी प्राथमिक श्रमिकों को डेटा संग्रह कार्य शुरू करने के लिए विकसित ऐप्स / सॉफ्टवेयर के साथ-साथ निकाले गए डेटा (यदि उपलब्ध हो) को अपने स्वयं के हाथ से आयोजित उपकरणों में डाउनलोड करना चाहिए। चूंकि भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की स्थिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान नहीं है, इसलिए निकाले गए आंकड़ों की उपलब्धता अथवा भूमि अभिलेखों के अनुरक्षण के आधार पर आंकड़े संग्रहण की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हो सकती है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां भूमि अभिलेखों (भूमि अभिलेख राज्यों) का समुचित रूप से डिजिटलीकरण और सुलभ है, डाटाबेस से अपेक्षित जानकारी निकालकर आंकड़े एकत्र किए जाने हैं और बाद में प्राथमिक कामगारों द्वारा अपडेशन किया जाएगा। जबकि, उन राज्यों (गैर-भूमि रिकार्ड राज्यों) में जहां डिजिटल रिकार्ड और भूमि रिकार्ड डाटाबेस का समुचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है अथवा उपलब्ध नहीं है अथवा सुलभ नहीं है, उपलब्ध भूमि अभिलेखों को पूरक या अद्यतन करके चरण-1 में घरेलू जांच दृष्टिकोण के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाने की आवश्यकता होती है।

10.1.1 पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:

10.1.1.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत/डिजिटलीकृत हैं, राज्य विभाग एनआईईएलआईटी, कोलकाता को निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटरीकृत भूमि

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

अभिलेखों से निकाले गए सभी आंकड़ों की गांव-वार पूरी सूची प्रदान करेगा। एनईआईएलआईटी, कोलकाता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के परामर्श से डेटा को फिर से तैयार करने के बाद केंद्रीय सर्वर के माध्यम से ऐप/सॉफ्टवेयर पर इसे अपलोड करेगा। प्राथमिक कार्यकर्ता तब उन ऐप्स / सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा जो पहले से भरे गए डेटा के साथ आता है या डाउनलोड और अपडेट के लिए उपलब्ध है / उपलब्ध वास्तविक या कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड के साथ-साथ अपने स्वयं के ज्ञान या आवश्यक स्थानीय पूछताछ के माध्यम से लापता क्षेत्रों को भरता है।

10.1.2 आंशिक रूप से कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:

10.1.2.1 जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेख आंशिक रूप से कंप्यूटरीकृत/डिजिटल किए जाते हैं, नोडल राज्य विभाग निर्धारित प्रारूप में कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों से निकाले गए सभी आंकड़ों की उपलब्ध ग्रामवार सूची एनआईआईएलआईटी, कोलकाता को उपलब्ध कराएगा। एनआईआईएलआईटी, कोलकाता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के परामर्श से डेटा को फिर से तैयार करने के बाद केंद्रीय सर्वर के माध्यम से ऐप/सॉफ्टवेयर पर इसे अपलोड करेगा। प्राथमिक कार्यकर्ता तब उन ऐप्स / सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा जो पहले से भरे गए डेटा के साथ आता है या डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और घरेलू पूछताछ दृष्टिकोण के साथ-साथ उपलब्ध वास्तविक या कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड का उल्लेख करके लापता क्षेत्रों को अपडेट / भरता है। प्राथमिक कार्यकर्ता को सत्यापन के लिए पीएम-किसान योजना के तहत नामांकित किसानों की गांववार सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ग्राम स्तर पर कोई चूक न हो।

10.1.3 ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके पास कोई कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड नहीं है:

10.1.3.1 जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेख मौजूद नहीं हैं या कंप्यूटरीकृत नहीं हैं, वहां प्राथमिक कामगार उपलब्ध वास्तविक भूमि अभिलेखों के माध्यम से ऐप/सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपेक्षित डेटा भरेगा और घरेलू जांच दृष्टिकोण के माध्यम से लापता क्षेत्रों को अद्यतन करेगा। प्राथमिक कार्यकर्ता को सत्यापन के लिए पीएम-किसान योजना के तहत नामांकित किसानों की गांववार सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ग्राम स्तर पर कोई चूक न हो।

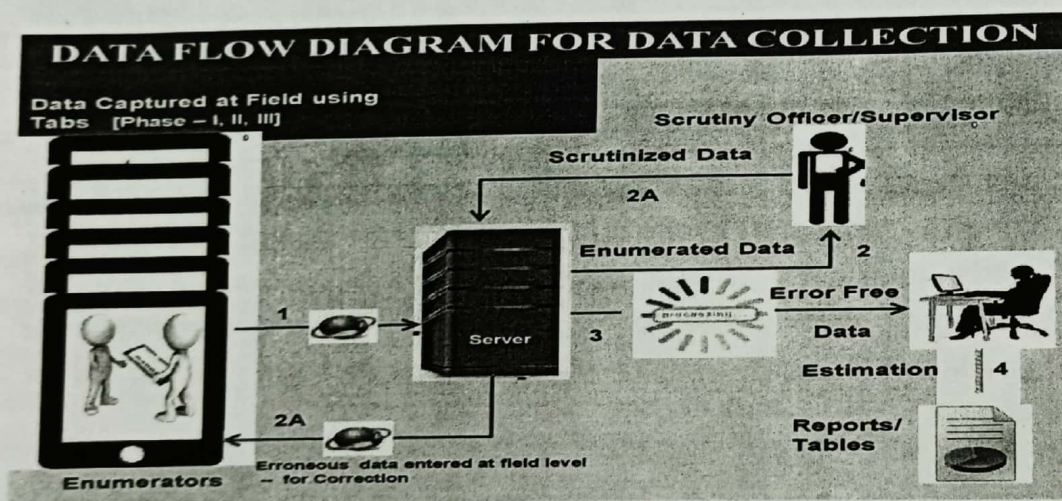
11. आंकड़ा प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने का चैनल

11.1 एन एंड टू एंड सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो क्षेत्र स्तर के डेटा संग्रह से लेकर अंतिम डेटा के प्रसार तक की संगणना प्रचालनों की सभी घटक गतिविधियों को कवर करता है। यह न केवल परिणामों के प्रकाशन में समय अंतराल को कम करेगा, बल्कि डेटा की गुणवत्ता में बहुत सुधार करेगा।

11.2 प्राथमिक कामगार या तो निकाले गए डिजीटल भूमि रिकॉर्ड या भौतिक भूमि रिकॉर्ड या घरेलू जांच का उपयोग करके ऐप / सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेन्ड-हेल्ड डिवाइस वास्तविक उपकरणों का उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जांच के लिए पर्यवेक्षकों को एकत्र किए गए डेटा को प्रस्तुत करेंगे। पर्यवेक्षक तब ग्रामीण स्तर पर एकत्र किए गए आंकड़ों की पूरी तरह से जांच करेंगे और यदि संतुष्ट हो जाते हैं, तो प्रसंस्करण / अनुमान के लिए डेटा स्वीकार करेंगे। तथापि, यदि संवीक्षा या प्रसंस्करण स्तर पर कोई ब्रुटिपूर्ण अनुसूचियां देखी जाती हैं, तो उसे सुधार के लिए संबंधित प्राथमिक कामगार को वापस भेज दिया जाएगा। डेटा सुधार के इस एक ही चक्र का पालन तब तक किया जाएगा जब तक कि सभी प्रस्तुत किए गए डेटा को प्रसंस्करण / अनुमान के लिए ब्रुटि मुक्त नहीं किया जाता है।

11.3 इसके बाद, सॉफ्टवेयर गांव / तहसील (उप-जिला) / जिला / राज्य / अखिल भारतीय स्तर पर तालिकाओं के उत्पादन को सक्षम करेगा। परिणामों को समय पर अंतिम रूप देने के लिए, परिणामों पर चर्चा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया जाना है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, आंकड़ों को पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और चरण-1 के लिए परिचालन होल्डिंग्स पर अखिल भारतीय रिपोर्ट के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

11.4 संग्रह से प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रवाह को निम्नानुसार दर्शाया गया है:



12. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी:

12.1 कृषि संगणना प्रचालनों की प्रगति की निगरानी वेब पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की जाएगी। केन्द्र के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय में एक समर्पित दल कार्य की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करेगा और प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों, यदि कोई हो, का समाधान करेगा। निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्र/राज्य/जिला, तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/तालुका स्तर पर बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली अपनाई जाएगी। प्राथमिक कामगारों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यवेक्षी अधिकारियों की वास्तविक प्रगति को नियमित आधार पर पोर्टल पर स्वचालित रूप से अद्यतन कर दिया जाएगा। आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने और समय पर कार्य को पूरा करने के लिए, तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला/राज्य मुख्यालय के राज्य

अधिकारियों के साथ-साथ केन्द्र के अधिकारियों को डेटा संग्रहण अवधि के दौरान नियमित रूप से फील्ड दौरे/निरीक्षण करने चाहिए और फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए।

13. राज्य समन्वय समितियों (एसएलसीसी) का गठन

13.1 चूंकि राज्यों में कृषि संगणना प्रचालन में विभिन्न विभाग शामिल होंगे, इसलिए समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन करना आवश्यक है। समिति की अध्यक्षता राज्य के कृषि संगणना आयुक्त द्वारा की जा सकती है जो या तो वित्तीय आयुक्त या राजस्व सचिव या कृषि उत्पादन आयुक्त या कृषि सचिव हो सकते हैं। अन्य सदस्यों में राजस्व, कृषि और सांख्यिकी के राज्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, जैसा भी मामला हो। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि संगणना प्रभाग के प्रतिनिधि के अलावा राज्य के कंप्यूटर सेल और एनआईसी के अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।

13.2 जिला स्तर पर इसी तरह की समितियों का गठन करना आवश्यक है। इनकी अध्यक्षता कलेक्टर/उपायुक्त द्वारा की जाएगी जिन्हें जिला कृषि संगणना अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। इस समिति के सदस्यों में राजस्व, कृषि और सांख्यिकी के जिला प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इससे देश में कृषि संगणना प्रचालनों को बेहतर समन्वय, सुचारु संचालन और समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

14. प्रचार-प्रसार

14.1 कृषि संगणना के लिए प्रचार के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। अनुभव से पता चलता है कि पर्याप्त प्रचार और संवेदनशीलता उत्तरदाताओं से सहयोग प्राप्त करने में मदद करती है और इस तरह गुणवत्ता डेटा एकत्र करती है और समय पर काम पूरा करती है। राज्य सरकारों को विभिन्न मास मीडिया प्लेटफार्मों (रेडियो/टेलीविजन/प्रेस आदि) और ग्राम पंचायतों के माध्यम से कृषि संगणना के महत्व के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए और इस विशाल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए लोगों के बीच आवश्यक जागरूकता पैदा करनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाताओं को आंकड़ों के महत्व से अवगत कराया जाए और उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि कृषि संगणना के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों, विशेष रूप से पट्टेदारी, जोत के विभाजन या खेती की गई फसलों से संबंधित पहलुओं पर कानून की किसी भी अदालत में किसी भी विवाद के निपटारे के लिए या उन पर लगाए जाने वाले किसी भी कर का निर्णय लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

15. क्षेत्र के मापन के लिए इकाइयाँ

15.1 यह अनुभव किया गया है कि देश में क्षेत्र की माप के लिए विभिन्न इकाइयाँ प्रचलित हैं। यहां तक कि एक राज्य के भीतर, विभिन्न क्षेत्रों में माप और इकाइयों की कई प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। तथापि, अखिल भारतीय अनुमान तैयार करने के लिए, माप की एक समान इकाई को

अपनाना आवश्यक है। अतः, यह निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर कृषि संगणना के परिणाम मीट्रिक प्रणाली में जारी किए जाएंगे जिसमें क्षेत्र की इकाई के रूप में हेक्टेयर होगा। उन राज्यों में जहां हेक्टेयर को इकाई के रूप में समान रूप से अपनाना मुश्किल है, यह सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचियों को भरने के लिए, स्थानीय इकाइयों और माप की प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दशमलव प्रणाली का उपयोग भिन्नात्मक भागों को व्यक्त करने के लिए किया जाना है। ऐसे मामलों में, स्थानीय से हेक्टेयर में इकाइयों का रूपांतरण स्वचालित रूप से सिस्टम द्वारा ही किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक तहसील (उप-जिला) के भीतर केवल एक इकाई का उपयोग क्षेत्र के लेखांकन के लिए किया जाता है।

16. अंकों की लिपि

16.1 विभिन्न अनुसूचियों को भरने के लिए केवल अरेबिक अंकों (1,2,3,4,5 आदि) का उपयोग किया जाना चाहिए।

17. स्पष्टीकरण की मांग

17.1 कृषि संगणना 2021-22 के लिए अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं के बारे में कोई भी मुद्दा, जिसे राज्य स्तर पर स्पष्ट नहीं किया जा सका, को निम्नलिखित पते पर भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए:

डॉ दलीप सिंह,
उप महानिदेशक-सह-कृषि संगणना आयुक्त,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नंबर: 011-23383772.
ई-मेल: agcensus.krishi@nic.in

भाग - ख: भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

18. डेटा एकत्रीकरण में हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां

डेटा संग्रह में शामिल अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

18.1 राज्य कृषि संगणना इकाई: केंद्र द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ कृषि संगणना कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपी गई है। कृषि संगणना के लिए डेटा संग्रह का यह विशाल कार्य प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित कृषि संगणना इकाई द्वारा समन्वित किया जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की विभिन्न विभागों के क्षेत्र पदाधिकारियों (जैसे पटवारी / तलाथी / ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता / कर्णम / अन्वेषक आदि) की मदद से किया जाता है। राज्य कृषि संगणना इकाई में अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं: (i) कृषि संगणना के संचालन के लिए प्रारंभिक गतिविधियाँ, (ii) प्रणाली प्रशासक की पहचान और भूमिका सौंपना, (iii) प्राथमिक श्रमिकों / पर्यवेक्षकों की पहचान और लॉगिन क्रेडेंशियल का निर्माण, (iv)) प्राथमिक श्रमिकों के साथ-साथ पर्यवेक्षकों को गांवों का आवंटन, (v) ग्राम स्वामी और निष्कर्षित डेटा प्रदान करना, (vi) एनआईसी, भूमि राजस्व विभागों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय, (vii) जागरूकता/प्रचार अभियान आयोजित करना, (viii) प्राथमिक कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, (ix) प्रणाली प्रशासक द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके निगरानी पोर्टल के माध्यम से डेटा संग्रह की प्रगति की निगरानी करना, (x) नियमित क्षेत्र निरीक्षण करना, (xi) डेटा की जांच और अंतिम रूप देना आदि तकनीकी पहलुओं के अलावा, इकाई नीति निर्मुक्ति की सभी पहलुओं, उपयोगिता और अव्ययित शेष पर रिकॉर्ड भी रखता है, यूसी जारी करना और विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार मासिक वित्तीय प्रगति के माध्यम से वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है।

18.2 प्रणाली प्रशासक: प्रणाली प्रशासक की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि डेटा संग्रह में प्रौद्योगिकी का उपयोग पहली बार शुरू किया गया है। राज्य के प्रणाली प्रशासक की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं: (i) राज्य में विभिन्न स्तरों पर सभी क्षेत्र पदाधिकारियों को लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी और पासवर्ड) प्रदान करना/देना (ii) डेटा संग्रह और जांच करने के लिए, क्षेत्र पदाधिकारियों को गांवों का आवंटन करना (प्राथमिक और साथ ही साथ पर्यवेक्षकों) (iii) संगणना संचालन में शामिल कर्मियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए नियमित तकनीकी मार्गदर्शन, (iv) आईटी सिस्टम का विन्यास और सभी राज्य के क्षेत्र अधिकारियों के लिए ऐप / वेब आधारित अनुप्रयोग से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों को हल करना आदि।

18.3 पर्यवेक्षक: पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्र के अधिकारियों का प्रभावी पर्यवेक्षण क्षेत्र से गुणवत्ता डेटा का प्रवाह सुनिश्चित करता है और निर्धारित समय सारिणी और निर्देशों के अनुसार काम पूरा करता है। कभी-कभी, पर्यवेक्षक को संबंधित राज्य में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर उसके अधीन काम करने वाले सभी क्षेत्र पदाधिकारियों को लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी और पासवर्ड) बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। कृषि संगणना कार्य के लिए पर्यवेक्षक (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारी) के रूप में नियुक्त अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक श्रमिकों की प्रगति की सक्रिय निगरानी

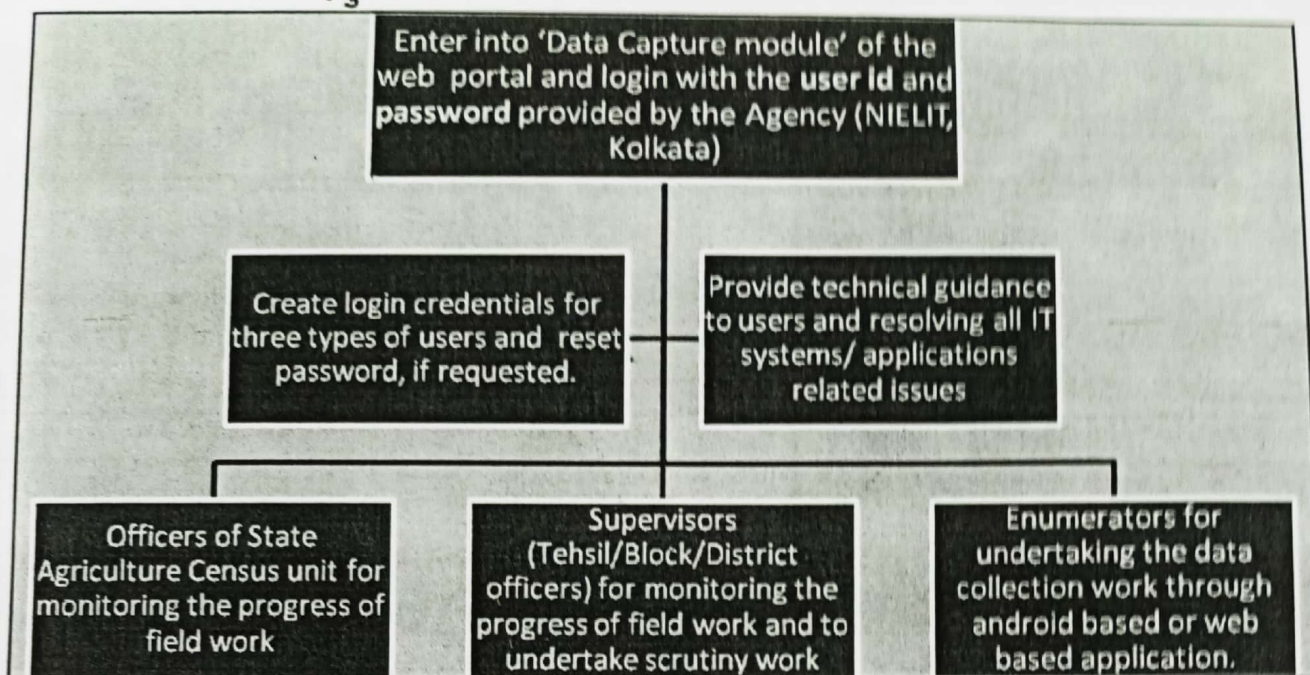
करनी चाहिए। पर्यवेक्षक की मुख्य जिम्मेदारी प्रसंस्करण/अनुमान के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्राथमिक श्रमिकों द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा की जांच और अनुमोदन करना है।

18.4 गणक: कृषि संगणना के लिए आंकड़े एकत्र करने का कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रगणकों या प्राथमिक कार्यकर्ताओं या क्षेत्र पदाधिकारियों (जैसे पटवारी/तलाथी/ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता/कर्णम/अन्वेषक आदि) द्वारा किया जाता है। प्राथमिक कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे प्रदान किए गए निर्देश मैनुअल के अनुसार डेटा संग्रह कार्य करेगा और गुणवत्ता डेटा का संग्रह सुनिश्चित करेगा। वह प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डेटा की उपलब्धता के अनुसार निकाले गए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड या भौतिक भूमि रिकॉर्ड या घरेलू पृष्ठताछ दृष्टिकोण के माध्यम से या निर्धारित ऐप्स/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा संग्रह के लिए हैंड-हेल्ड उपकरणों का उपयोग करेगा। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पर्यवेक्षक द्वारा जांच और अनुमोदन के लिए केंद्रीय सर्वर पर नियमित रूप से डेटा अपलोड करें, और अनुमोदन से पहले उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों/स्पष्टीकरणों पर ध्यान दें।

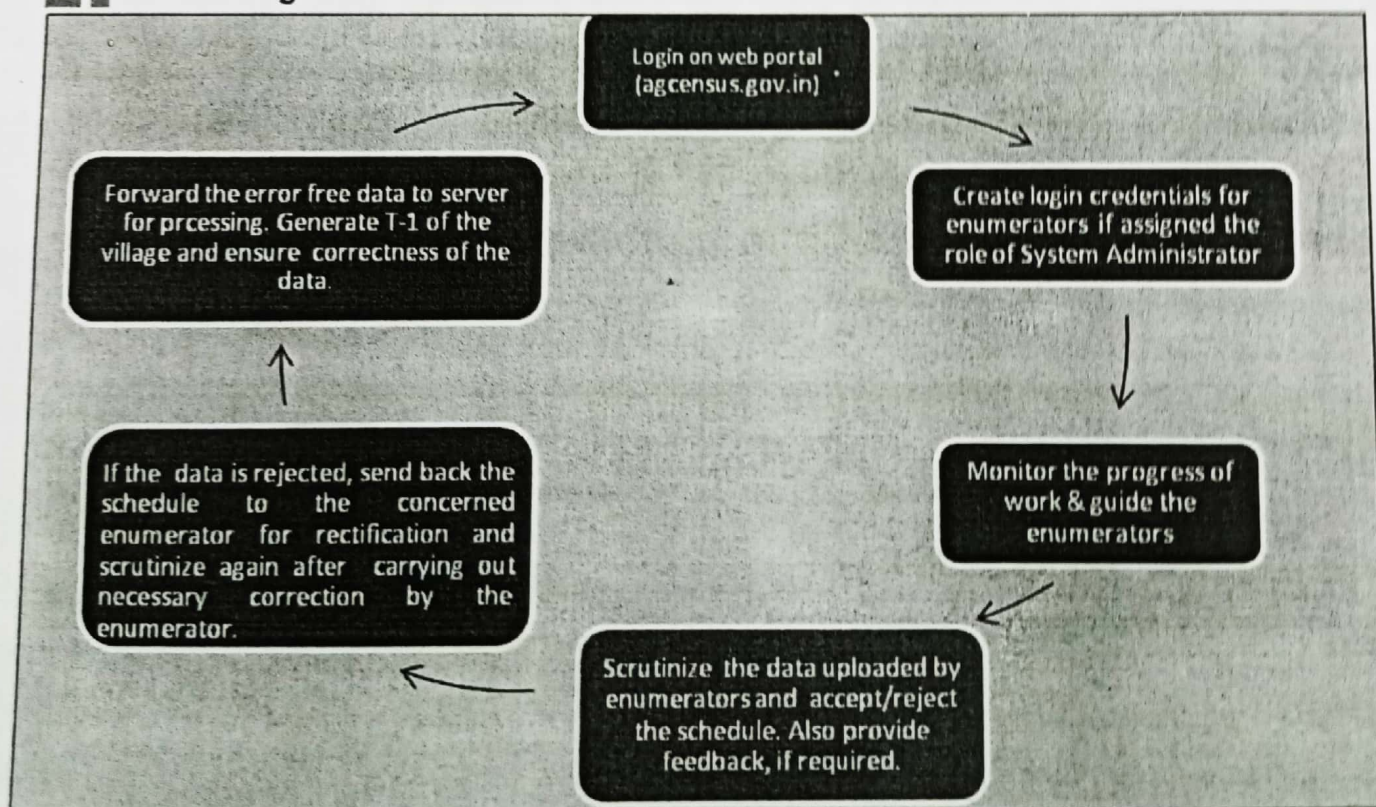
भाग- ग: डेटा एकत्रीकरण हेतु निदेश

19. विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए गतिविधियों का प्रवाह आरेख:

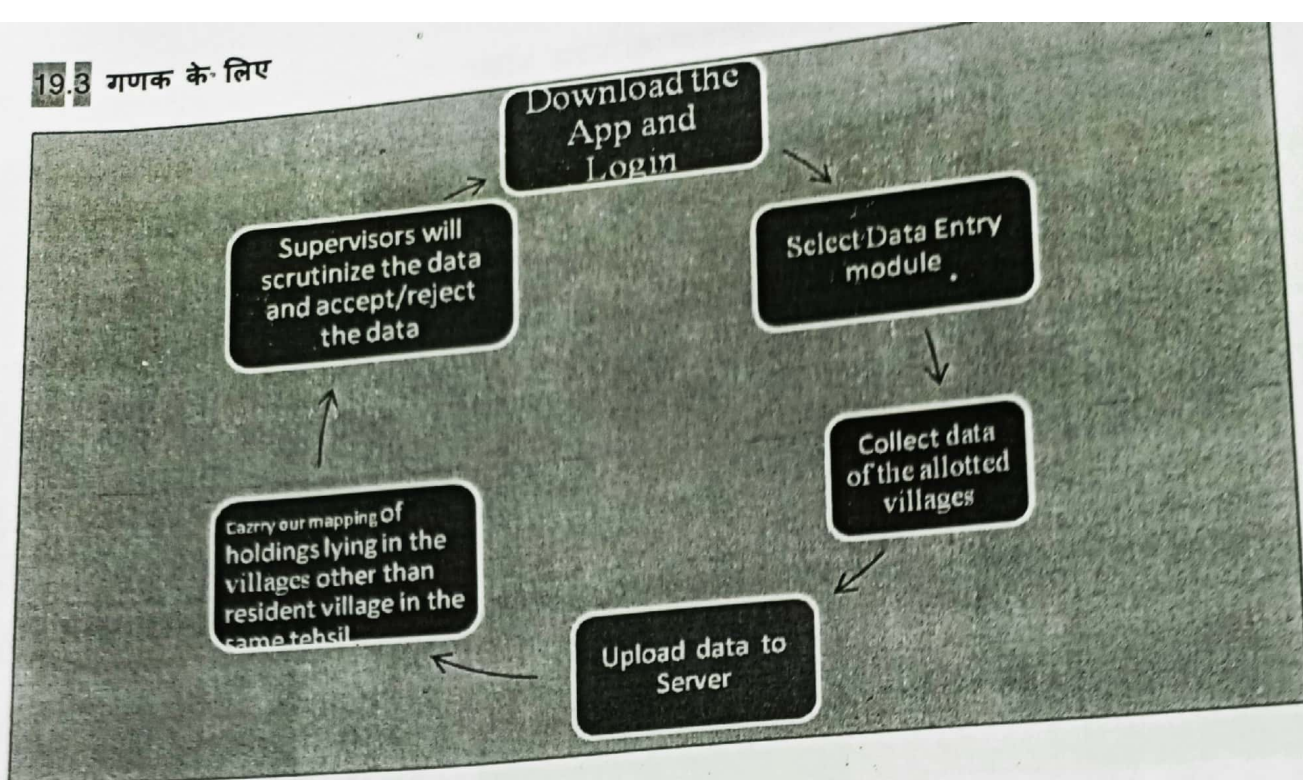
19.1 प्रणाली प्रशासक हेतु



19.2 पर्यवेक्षक हेतु



19.3 गणक के लिए



20. कृषि संगणना पोर्टल तक पहुँचने के निर्देश:

20.1 कृषि संगणना वर्ष 2021-22 वेब पोर्टल तक पहुँचने के लिए, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में 'http: //agcensus.gov.in' टाइप करें .या वैकल्पिक रूप से Google जैसे सर्च इंजन से 'agcensus.gov.in' खोजें और लिंक पर क्लिक करें। कृषि संगणना वर्ष 2021-22 वेब पोर्टल का लिंक 'http: //agcensus.nic.in' पर भी उपलब्ध है। कृषि संगणना का निम्नलिखित होम पेज खोला जाएगा:



20.2 होमपेज में डैशबोर्ड, डेटा कैप्चर और रिपोर्ट और उपयोगी दस्तावेज़ों के विकल्प होंगे। डेटा कैप्चर विकल्प में लॉग इन करने के बाद ही फील्ड वर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डैशबोर्ड के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर कार्य की प्रगति को देख सकता है और उसकी निगरानी कर सकता है। 'उपयोगी दस्तावेज़' के अंतर्गत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जैसे निर्देश पुस्तिका, प्रशिक्षण वीडियो और संचालन संबंधी दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

21. उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए सिस्टम प्रशासक के लिए निर्देश:

21.1 विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल केवल वेब आधारित एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किए जाएंगे जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। वेब पोर्टल के डेटा कैप्चर मॉड्यूल में प्रवेश करने के लिए, आपको एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होने की आवश्यकता है। सबसे पहले, एजेंसी (एनआईईएलआईटी, कोलकाता) राज्य के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को उन सभी कर्मियों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकृत करेगी जो राज्य में कृषि संगणना कार्य करने में शामिल होंगे। सामान्य तौर पर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को तीन प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की आवश्यकता होगी:

21.1.1 क्षेत्र कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य कृषि संगणना इकाई के अधिकारी.

21.1.2 क्षेत्र कार्य की प्रगति की निगरानी और संवीक्षा कार्य शुरू करने के लिए पर्यवेक्षकों (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला अधिकारी)। कभी-कभी, उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले प्राथमिक कर्मचारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका भी सौंपी जा सकती है।

21.1.3 एंड्रॉइड आधारित या वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह कार्य करने के लिए एन्यूमेरेटर्स।

21.2 आरंभ करने के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पहले वेब पोर्टल के 'डेटा कैप्चर मॉड्यूल' में प्रवेश करेगा और एजेंसी (एनआईईएलआईटी, कोलकाता) द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा जिससे विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए मुख्य मेनू पृष्ठ शुरू होगा। उनकी सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यहां, केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल को रीसेट करने का अधिकार होगा और किसी भी उपयोगकर्ता के अनुरोध पर इसे रीसेट या फिर से बनाया जाएगा। तथापि, राज्य में प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली के आधार पर, सिस्टम प्रशासक पर्यवेक्षकों (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारियों को प्रगणकों (प्राथमिक कार्यकर्ता) के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप सकता है।

21.3 विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल बनाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका निम्नानुसार है:

इस गतिविधि को शुरू करने से पहले, उपयोगकर्ताओं के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे एकत्र करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल बनाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका इस प्रकार है:

➤ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा:

21.3.1 राज्य अधिकारी: यूजर क्रिएशन विकल्प पर जाएं और चरण- 1 के लिए सभी आवश्यक फ़ील्ड जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि भरकर राज्य अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।

21.3.2 पर्यवेक्षक (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला अधिकारी):

चरण -1: लॉगिन पेज पर सेटअप विकल्प खोलें। सेटअप के तहत 'सेटिंग एरिया यूनिट' विकल्प पर जाएं और जिला और तहसील (उप-जिला) को चुनकर तहसील (उप-जिला) स्तर पर चरण- 1 के लिए क्षेत्र इकाई तय करें। एक बार तहसील (उप-जिला) स्तर पर निर्धारित क्षेत्र इकाई को फ़ील्ड कार्य शुरू होने के बाद बदला नहीं जा सकता है। इसलिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर/पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षकों/गणनाकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता निर्माण के समय इकाई क्षेत्र का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तहसील (उप-जिला) के भीतर क्षेत्र इकाई के मापन की मौजूदा या प्रचलित प्रणाली सही ढंग से चुनी गई है।

चरण -2: अगला सेटअप विकल्प के तहत यूजर क्रिएशन पर जाएं और क्षेत्राधिकार क्षेत्र जैसे जिला, तहसील (उप-जिला) और गांव को निर्दिष्ट करके और पर्यवेक्षकों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि जैसे सभी आवश्यक क्षेत्रों को भरकर चरण- 1 के लिए पर्यवेक्षकों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।

➤ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा:

21.3.3 एन्युमरेटर्स: यदि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा पर्यवेक्षकों को एन्युमरेटर्स के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की भूमिका भी सौंपी जाती है, तो उन्हें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रदान किए गए यूजर_आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा और निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

चरण -1: लॉगिन पेज पर सेटअप विकल्प खोलें। 'सेटिंग एरिया यूनिट' विकल्प पर जाएं और जिला और तहसील (उप-जिला) को चुनकर तहसील (उप-जिला) स्तर पर चरण- 1 के लिए क्षेत्र इकाई तय करें। तहसील (उप-जिला) स्तर पर एक बार फिक्स की गई क्षेत्र इकाई को फ़ील्ड कार्य शुरू होने के बाद बदला नहीं जा सकता है। इसलिए पर्यवेक्षक (या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर) को गणनाकर्ता निर्माण के समय इकाई क्षेत्र का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तहसील (उप-जिला) के भीतर क्षेत्र इकाई के मापन की मौजूदा या प्रचलित प्रणाली सही ढंग से चुनी गई है।

चरण -2: एन्युमरेटर क्रिएशन विकल्प पर जाएं और एंड्रॉइड आधारित या वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह शुरू करने के मोड के विकल्प को चुनकर चरण- 1 के लिए एन्युमरेटर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं और डेटा संग्रह शुरू करने के लिए जिला, तहसील (उप-

जिला) और गांवों जैसे क्षेत्राधिकार क्षेत्र आवंटित करें तथा अंत में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी इत्यादि जैसे एन्यूमरेटर्स क्रेडेंशियल भरें। यहां, एक बार चुने गए डेटा संग्रह के तरीके को केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (या पर्यवेक्षक) द्वारा एन्यूमरेटर्स के अनुरोध पर बदला जा सकता है।

22. संवीक्षा कार्य करने के लिए पर्यवेक्षकों को निर्देश:

22.1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। इस मुख्य मेनू पृष्ठ के माध्यम से, पर्यवेक्षक पहले 'चरण- 1' मेनू पर जाएगा और फिर 'डेटा की संवीक्षा' विकल्प चुनें जिससे चरण- 1 अनुसूची के संवीक्षा कार्य को करने के लिए एक पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। उस गांव का चयन करें जिसके लिए संवीक्षा कार्य किया जाना है और एकत्रित आंकड़ों के साथ-साथ अनुसूची को भी देखें।

22.2 संवीक्षा के बाद, पर्यवेक्षक एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता के आधार पर अनुसूची को या तो स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अस्वीकृत अनुसूची को सुधार के लिए संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता को वापस भेज दिया जाएगा और गणनाकर्ता द्वारा आवश्यक सुधार के बाद संवीक्षा के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। अस्वीकृत अनुसूचियों पर पर्यवेक्षक को अस्वीकृति का कारण बताना चाहिए ताकि संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता आसानी से गलत डेटा को सुधारने में सक्षम हो सके। भावी प्रक्रिया के लिए केवल स्वीकृत और सत्यापित डेटा केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध कराया जाएगा। संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए कि क्या:

- i. गांव के सभी सर्वे नंबर/क्षेत्र का हिसाब रख लिया गया है।
- ii. मालिक/परिचालन धारक के स्वामित्व/परिचालन के सभी सर्वेक्षण नंबर/क्षेत्र को कवर कर लिया गया है या कोई चूक देखी गई है। साथ ही यह भी जांचा जाना चाहिए कि गांव में सभी जोत सूचीबद्ध हैं या नहीं।
- iii. संचालन जोत का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या के संबंध में दिए गए क्षेत्र के आंकड़े मूल ग्राम रूप से सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।
- iv. म्यूटेशन सहित अप टू डेट भूमि अभिलेखों का उपयोग संदर्भ वर्ष के लिए किया गया है।
- v. संस्थागत जोतों का कवरेज अवधारणाओं और परिभाषाओं के अनुसार है।
- vi. भूमि अभिलेखों से डेटा का पुनः सारणीकरण या निष्कर्षण और लापता क्षेत्रों का अद्यतन सही ढंग से किया गया है।
- vii. अनुसूचियों के सभी क्षेत्रों को ठीक से भरा गया है।
- viii. भिन्नों को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र इकाई और प्रणाली के उपयोग के निर्देश का पालन किया गया है।
- ix. अनुसूचियों में दिए गए आंकड़े सुसंगत हैं।
- x. सही कोड का उपयोग/भरा/चुना गया है।

23. प्रगणकों को निर्देशः

23.1 कृषि संगणना 2021-22 में, भूमि रिकॉर्ड राज्यों के लिए, गाँव में प्रत्येक सर्वेक्षण / उप-सर्वेक्षण संख्या (चाहे संचालित हो या नहीं) के भूमि उपयोग का विवरण गाँव के भौगोलिक क्षेत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए एकत्र किया जाता है। गैर-भूमि अभिलेख वाले राज्यों में जहाँ अधिकारों का रिकॉर्ड और प्लॉट संख्या/सर्वेक्षण संख्या उपलब्ध है, भूमि उपयोग भरने की प्रक्रिया वही होगी जो भूमि रिकॉर्ड राज्यों में अपनाई जाती है।

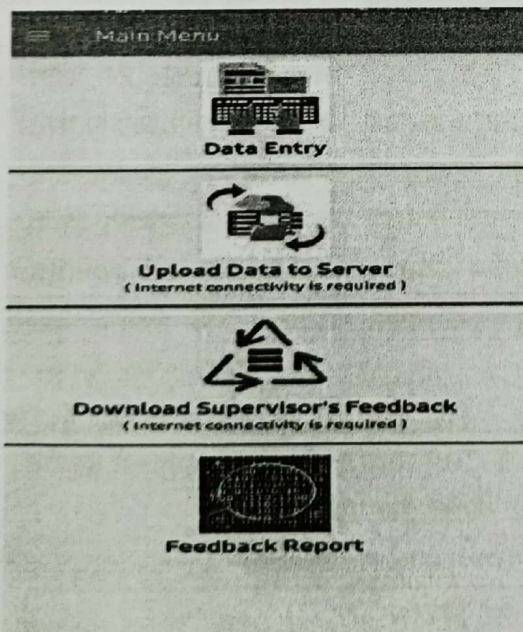
23.2 उन राज्यों (विशेषकर कुछ पूर्वोत्तर राज्यों) में जहाँ कोई भूमि रिकॉर्ड प्रणाली नहीं है, (कोई खाता संख्या/सर्वेक्षण संख्या नहीं) ऐप में इसे रिकॉर्ड करना एक चुनौती होगी। इस मामले में, प्राथमिक कार्यकर्ता घर के भीतर या व्यक्तिगत मालिक या परिचालन धारक के लिए खाता संख्या के सामने घर का नंबर और उसके बाद सर्वेक्षण / उप-सर्वेक्षण संख्या के समक्ष क्रमांक दर्ज करना चुन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार के पास एक ही गाँव में 4 अलग-अलग स्थानों में फैली हुई भूमि है, तो प्राथमिक कार्यकर्ता को खाता संख्या में घर का नंबर दर्ज करना चाहिए और अपने सर्वेक्षण संख्या / उप-सर्वेक्षण संख्या के रूप में क्रमांक 1, 2, 3 और 4 निर्दिष्ट करना चुन सकता है और उनके भूमि उपयोग को रिकॉर्ड करें चाहे कृषि संगणना की परिभाषा के अनुसार संचालित हो या नहीं और यदि संचालित नहीं है, तो उपयुक्त वर्गीकरण का चयन करके उनके भूमि उपयोग के प्रकार को रिकॉर्ड करें। ग्राम क्षेत्र जो घरों से आच्छादित नहीं है अर्थात् सरकारी भूमि, सामुदायिक भूमि के लिए एन्यूमरेटर्स को गाँव के रिकॉर्ड / मुखिया से परामर्श करने के लिए आवश्यक होगा कि वह पूरे गाँव के लिए सरकारी भूमि और सामुदायिक भूमि के बारे में जानकारी प्रस्तुत करे और भूमि उपयोग का रिकॉर्ड करे जैसे कि वन, बंजर भूमि आदि। एन्यूमरेटर्स द्वारा डेटा संग्रह के लिए गतिविधियों का क्रम निम्नानुसार है:

- i. मोबाइल/टैबलेट में गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें।
- ii. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऐप्स का होम पेज खोलें।
- iii. होम पेज से 'डेटा एंट्री' विकल्प चुनें। जांचें कि क्या प्राप्त किया डेटा ऐप्स में पहले से भरा हुआ है। यदि नहीं, तो होम पेज से "डाउनलोड डेटा" विकल्प से प्राप्त डेटा को डाउनलोड करें।
- iv. निर्देशों के अनुसार डेटा एकत्र करें और हमेशा सेव बटन पर क्लिक करके एकत्रित डेटा को सेव करें।
- v. होम पेज पर उपलब्ध विकल्प से सेव किए गए डेटा को सर्वर पर अपलोड करें। प्राथमिक कार्यकर्ता को दैनिक आधार पर, यदि संभव हो, सहेजे गए डेटा को अपलोड करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- vi. होम पेज से उपलब्ध विकल्प को चुनकर उसी तहसील (उप-जिला) के भीतर निवासी गाँव के अलावा अन्य गाँवों में पड़ी आंशिक जोत का मानचित्रण करना।
- vii. होम पेज पर उपलब्ध विकल्प से पर्यवेक्षक की फीडबैक रिपोर्ट देखें और शेड्यूल में सुधार, यदि कोई हो, करें और डेटा को फिर से सर्वर पर अपलोड करके फिर से सबमिट करें।

- viii. अपने किसी भी प्रश्न के लिए 'हेल्प' डेस्क फोरम का प्रयोग करें। उसी पर स्पष्टीकरण भी उसी पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं।
- ix. हैंड-हेल्ड डिवाइस पर एकत्रित डेटा का बैकअप विकल्प बाद में वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वर पर अपलोड करने के लिए भी उपलब्ध है।

23.3 ऐप डाउनलोड करने और डेटा एंट्री मॉड्यूल में लॉग इन करने और एक्सेस करने के लिए चरण दर चरण निर्देश

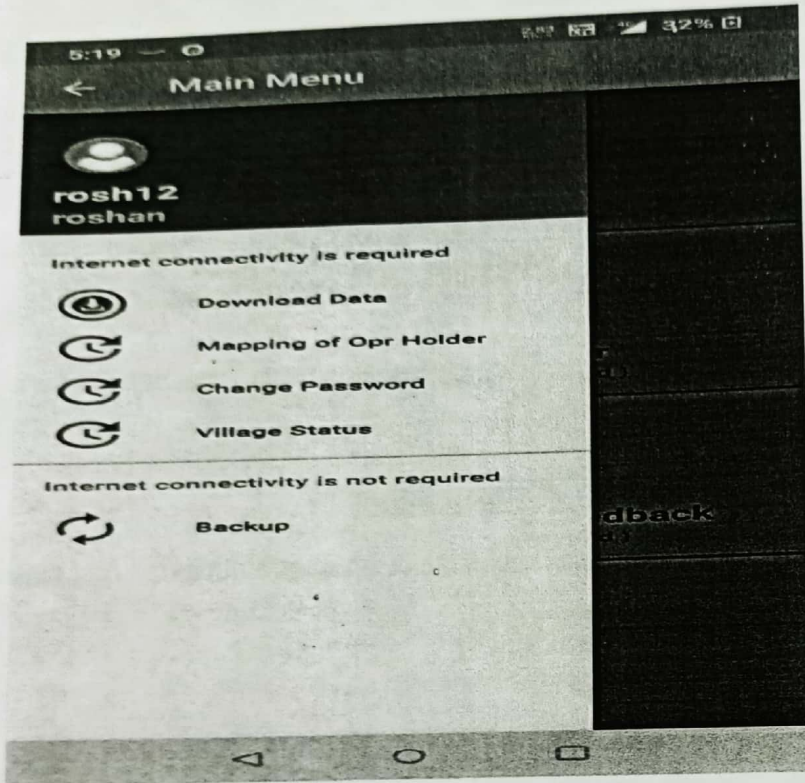
23.3.1 एन्यूमेरेटर (प्राथमिक कार्यकर्ता) का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम ऐप के "एग्जी 2122 (चरण- I)" नाम की खोज करके गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल/टैबलेट में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को सफलतापूर्वक डाउनलोड करने के बाद, ऐप को खोलें और फिर एडमिनिस्ट्रेटर/पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किए गए अपने यूजर_आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। ऐप में लॉगिन पेज नीचे दिखाया गया है:



सफल लॉगिन के बाद, चार विकल्पों के साथ एक नई स्क्रीन दिखाई देगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

23.3.2 पहला विकल्प "डेटा एंट्री" का उपयोग शेड्यूल को दर्ज करने / रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे विकल्प "सर्वर पर डेटा अपलोड करें" का उपयोग पर्यवेक्षकों द्वारा आगे की संवीक्षा के लिए एकत्रित डेटा को सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। प्राथमिक कार्यकर्ता को नियमित रूप से भरे हुए डेटा को दैनिक आधार पर सर्वर पर अपलोड करना होता

है। ऐप में प्राथमिक कार्यकर्ता को पॉप-अप संदेशों के रूप में सर्वर पर डेटा अपलोड करने के लिए याद दिलाने की सुविधा भी होगी। तीसरा विकल्प "सुपरवाइजर का फीडबैक डाउनलोड करें" का उपयोग पर्यवेक्षक द्वारा सर्वर से दिए गए फीडबैक को रीफ्रेश करने और प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अंतिम चौथे विकल्प "फीडबैक रिपोर्ट" का उपयोग पर्यवेक्षक की फीडबैक रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।



23.3.3 मुख्य मेनू पृष्ठ के बाईं ओर उपलब्ध टैब विकल्प पर क्लिक करने के बाद उपरोक्त स्क्रीन प्रदर्शित होगी। पहले विकल्प "डाउनलोड डेटा" का उपयोग आवंटित गांव के प्राप्त डेटा को डाउनलोड करने के लिए किया जाएगा, यदि डेटा उस ऐप में पहले से नहीं भरा गया है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। दूसरे विकल्प "ओपीआर धारक की मैपिंग" का उपयोग अन्य गांवों के साथ निवासी धारकों की जोत

की मैपिंग के लिए किया जाएगा। तीसरा विकल्प "पासवर्ड बदलें" का उपयोग पासवर्ड बदलने के लिए किया जाएगा यदि वह ऐसा चाहता है। चौथा विकल्प "ग्राम स्थिति" का उपयोग कार्य की प्रगति देखने के लिए किया जाएगा। अंतिम पांचवें विकल्प "बैकअप" का उपयोग किया जाएगा यदि एन्यूमरेटर्स सहेजे गए डेटा का बैकअप लेना चाहता है और वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से मैन्युअल रूप से अपलोड करना चाहता है।

24. प्राथमिक कार्यकर्ताओं को अनुसूचियां भरने के निर्देश

24.1 चरण-1 की अनुसूची में 7 ब्लॉक हैं जो सभी गांवों के लिए समान हैं, जिन्हें गांव में प्रत्येक खाता संख्या/सर्वेक्षण संख्या के लिए दर्ज या भरा जाएगा। ये ब्लॉक इस प्रकार हैं:

क्र.स	ब्लॉक का नाम	विवरण
1.	ब्लॉक A1	पहचान विवरण
2.	ब्लॉक ए2	गांव में कृषि अवसंरचना
3.	ब्लॉक बी	निवासी और अनिवासी स्वामियों की सूची

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

क्र.स	ब्लाक का नाम	विवरण
4.	ब्लाक सी	सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या के भूमि उपयोग का विवरण
5.	ब्लाक डी	परिचालन धारकों का सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या वार विवरण
6.	ब्लाक ई	संस्थागत धारकों का विवरण
7.	ब्लाक एफ1 से एफ4	मालिकों/परिचालन धारकों का पता विवरण

Block A1

Language

District

Tehsil

Village

SAC

NEXT

अनुसूची के ब्लॉक ए1 और ए2:

24.2 मुख्य मेनू पृष्ठ पर 'डेटा प्रविष्टि' विकल्प पर क्लिक करने के बाद, प्राथमिक कार्यकर्ता डेटा संग्रह स्क्रीन में प्रवेश करेगा।

ब्लॉक ए1-पहचान विवरण:

24.3 यहां प्राथमिक कार्यकर्ता को आवंटित गांवों की अनुसूची भरने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू से भाषा और गांव के नाम के पसंदीदा विकल्प का चयन करना होगा। यदि आवंटित गांव ड्रॉप डाउन में नहीं आता है, तो कृपया पर्यवेक्षक/सिस्टम प्रशासक से परामर्श करें।

ब्लॉक ए2: गांव में कृषि अवसंरचना

24.4 ग्रामीण भारत के विकास और योजना के लिए गांव में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृषि बुनियादी ढांचे के स्थान की जानकारी मांगी गई है। स्क्रीन में पहले 5 आइटम पिछले ब्लॉक A1 से पहले से भरे हुए आएंगे। 6 से 9 तक शुरू होने वाली अगली 4 वस्तुओं के लिए, प्राथमिक कार्यकर्ता को दूरी के आधार पर उपयुक्त स्थान कोड चुनना होगा (अर्थात, गांव के भीतर कोड 1, बाहरी गांव के लिए 2, लेकिन 5 किलोमीटर के भीतर, 3 बाहरी गांव के लिए, लेकिन 10 किलोमीटर के भीतर, 4 बाहरी गांव के लिए लेकिन 20 किलोमीटर के भीतर और 5 बाहरी गांव के लिए लेकिन 20 किलोमीटर से अधिक) गांव में सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जैसे:

Block A2

Language	English English
District	
Tehsil	
Village	000001 - VELPURA
Area Unit	
Market/Shop	1 - within village
Custom Hiring	1 - within village
Cold Storage	1 - within village
Market/Mandi	1 - within village
Pin Code	313002
Geographical Area (in Hect.)	50.0000

BACK

NEXT

24.4.1 मद 6: कृषि आदानों जैसे बीज, उर्वरक, आदि की खरीद के लिए नजदीकी बाजार/मंडी;

24.4.2 मद-7: कृषि मशीनरी के लिए नजदीकी कस्टम हायरिंग सेटर;

24.4.3 मद-8: कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए नजदीकी कोल्ड स्टोरेज;

24.4.4 मद-9: कृषि उपज बेचने के लिए नजदीकी बाजार/मंडी।

24.4.5 मद 10 और 11 में, पिन कोड और गाँव का भौगोलिक क्षेत्र प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाना है।

ब्लॉक बी-निवासी और अनिवासी मालिकों की सूची:

24.5 इस ब्लॉक में प्राथमिक कार्यकर्ता को दिए गए खाता नंबर के सामने रजिस्टर/रिकॉर्ड के अनुसार या अपने ज्ञान के आधार पर या आवश्यक स्थानीय पूछताछ या घर-घर पूछताछ करने के बाद मालिक का विवरण भरना चाहिए। यदि भूमि रिकॉर्ड से निकाले गए डेटा का उपयोग किया जाता है तो इस

ब्लॉक में कुछ फ़ील्ड (राज्य से राज्य में भिन्न हो सकते हैं) पहले से भरे हुए (या उपलब्ध) होंगे और नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाए गए अनुसार छूट गए फ़ील्ड को अपडेट करेंगे:

मद 1: क्रम संख्या

24.5.1 यहां गांव के प्रत्येक खाता नंबर के सामने 1 से शुरू होने वाला चालू क्रमांक दिया जाना चाहिए।

मद 2: खाता संख्या

24.5.2 कृपया खतौनी/स्वामित्व रजिस्टर से मालिक का खाता नंबर दर्ज करें या इसे भूमि अभिलेखों के निकाले गए डेटा के आधार पर ऐप में पहले से भरा जा सकता है।

24.5.3 लिंक: आसान डेटा प्रविष्टि के लिए, मालिक/परिचालन धारक के नाम या पिता/पति के नाम का उपयोग करते हुए पिछले रिकॉर्ड के साथ वर्तमान रिकॉर्ड को जोड़ने का विकल्प प्रदान किया गया है। वह लिंक विकल्प में उपलब्ध चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकता है और उस मालिक का नाम या पिता/पति का नाम चुन सकता है जिसे वह इस रिकॉर्ड से जोड़ना चाहता है। मालिक का नाम या कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली



BLOCK A	
BLOCK DETAILS OF OWNER	
1. Sl. No.	3
2. Khasa Number	
☐ Link	QUOTA/REGISTRATION NO.
3. Name	
4. Father/Husband Name	
5. Holding Type	2 - Joint
5A. No. of Joint Holders	
6. Gender	Select
7. Social Group	Select
8. Aadhaar No.	
9. Mobile No.	
10. Place of Residence	Select
11. Total Number of Survey/Sub-Survey Numbers	1

पिता/पति का नाम या तो निकाले गए डेटा के माध्यम से ऐप में उपलब्ध है या प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा पहले से भरे गए रिकॉर्ड के आधार पर उपलब्ध है। एक बार जब प्राथमिक कार्यकर्ता रिकॉर्ड को मालिक या पिता/पति के नाम के साथ जोड़ता है, तो शेष जानकारी जैसे कि होल्डिंग प्रकार, जेंडर, सामाजिक समूह आदि रिकॉर्ड में उपलब्ध होने पर, स्वचालित रूप से भर दी जाएगी। इस मामले में, प्राथमिक कार्यकर्ता को केवल जानकारी को अद्यतन और सत्यापित करना होगा।

24.5.4 गलत रिकॉर्ड: सीरियल नंबर के लिए ऐप में डुप्लिकेट रिकॉर्ड उपलब्ध होने की

स्थिति में, गलत रिकॉर्ड के लिए नया चेक बॉक्स दिखाई देगा। प्राथमिक कार्यकर्ता चेक बॉक्स विकल्प पर क्लिक करके डुप्लिकेट रिकॉर्ड हटा सकता है।

मद 3 और 4: मालिक का नाम और पिता/पति का नाम।

24.5.5 प्राथमिक कार्यकर्ता को खाता संख्या के अनुरूप जोत की आसान पहचान के लिए पिता/पति के नाम के साथ मालिक का नाम दर्ज करना होगा या जानकारी भूमि अभिलेखों के निकाले गए डेटा के आधार पर ऐप में पहले से भरी गई हो और तदनुसार अपडेट करें।

मद 5: होल्डिंग प्रकार (व्यक्तिगत / संयुक्त / संस्थागत)

24.5.6 मालिक अर्थात व्यक्तिगत या संयुक्त या संस्थागत की होल्डिंग का प्रकार, इस मद के तहत क्रमशः कोड 1 या 2 या 9 का उपयोग करके दर्ज किया जाना चाहिए। सरकारी खेतों, गन्ना कारखानों/खेतों, चाय बागानों/कंपनियों के स्वामित्व वाले बागानों, सहकारी खेतों, स्कूल/मंदिर/चर्च/मस्जिद भूमि ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित आदि जैसे होल्डिंग्स को संस्थागत माना जाना चाहिए। हालांकि, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले बागानों/चाय बागानों आदि को व्यक्तिगत जोत के रूप में माना जाना चाहिए।

मद 5 ए: संयुक्त स्वामियों की संख्या

24.5.6.1 यदि मद 5 (अथवा मद 5 में कोड-2), में होल्टिंग प्रकार संयुक्त है तो संयुक्त मालिकों की संख्या दर्ज करने के लिए नया पॉप-अप विकल्प दिखाई देगा।

मद 6: स्वामी का जेंडर (एम/एफ/ट्रांसजेंडर)

24.5.7 यहां पुरुष के लिए कोड 1, महिला के लिए 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3 कोड का उपयोग करके स्वामी का जेंडर दर्ज करें। हो सकता है कि यह जानकारी गांव के भूमि रिकॉर्ड में उपलब्ध न हो और इसलिए, प्राथमिक कार्यकर्ता को इसे अपनी जानकारी से या आवश्यक स्थानीय पूछताछ या घर-घर जाकर पूछताछ के बाद भरना चाहिए। एक संयुक्त होल्टिंग के मामले में जहां संयुक्त मालिक अलग-अलग जेंडर यानी पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर से संबंधित हैं, प्रमुख मालिक का जेंडर जो अधिकतम क्षेत्र का मालिक है, यहां दर्ज किया जाना चाहिए। संस्थागत होल्टिंग के मामले में, इस तरह के किसी वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए इस मद में संबंधित कोड (9) भरा जाना चाहिए।

मद 7: सामाजिक समूह (एससी/एसटी/अन्य/संस्थागत)

24.5.8 जिस सामाजिक समूह से स्वामी संबंधित है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य को यहां कोड 1 या 2 या 3 का उपयोग करके दर्शाया जाएगा। यह जानकारी गांव के भूमि रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हो सकती है और इसलिए, प्राथमिक कार्यकर्ता को अपनी जानकारी से या आवश्यक स्थानीय पूछताछ या घर-घर जाकर पूछताछ करने के बाद इसे भरना चाहिए। इस मद में, प्राथमिक कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही कोड 9 हमेशा भरा जाना चाहिए, अगर मद 5 में कोड 9 है। मद 5 में संयुक्त होल्टिंग के मामले में जहां संयुक्त मालिक विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित हैं, मद 6 में दर्ज प्रमुख मालिक के सामाजिक समूह को यहां दर्ज किया जाना चाहिए।

मद 8 और 9: मालिक का मोबाइल नंबर और आधार नंबर।

24.5.9 यहां, प्राथमिक कार्यकर्ता, क्रमशः मद 8 और 9 में मालिक का मोबाइल नंबर और आधार नंबर यदि उपलब्ध हो, दर्ज कर सकता है।

मद 10: निवास स्थान और पता:

24.5.10 प्राथमिक कार्यकर्ता को आवश्यक स्थानीय पूछताछ या घर-घर पूछताछ करने के बाद एकत्र की गई जानकारी के आधार पर मालिक के निवास स्थान को निम्नानुसार उपयुक्त कोड चुनकर मद 10 में दर्ज करना चाहिए:

कोड 1 अगर मालिक उसी गांव में रह रहा है।

कोड 2 यदि स्वामी उसी तहसील (उप-जिला) के अन्य गाँव में निवास कर रहा हो।

कोड 3 यदि मालिक तहसील (उप-जिला) के बाहर लेकिन राज्य के भीतर रहता है।

कोड 4 यदि मालिक राज्य के बाहर रह रहा है।

कोड 5 यदि मालिक देश से बाहर रह रहा है।

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

कोड 2 के मामले में, ड्रॉप डाउन मेनू से गांव का नाम चुनें। कोड 3 के मामले में, जिला, तहसील (उप-जिला) और गांव का नाम चुनें। यहां केवल जिले का नाम अनिवार्य है और तहसील (उप-जिला) और गांव का नाम वैकल्पिक है। कोड 4 के मामले में, राज्य, जिला और तहसील (उप-जिला) का नाम चुनें। यहां केवल राज्य का नाम अनिवार्य है और जिले और तहसील (उप-जिला) का नाम वैकल्पिक है। कोड 5 के मामले में, देश का नाम भरे।

मद 11: खाता में सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या की कुल संख्या

24.5.11 प्राथमिक कार्यकर्ता को मद 2 में दिए गए खाता संख्या के सामने कुल सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्याओं को भरना चाहिए और तदनुसार अगले ब्लॉक सी में प्रत्येक सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या का विवरण भरना चाहिए।

ब्लॉक सी-सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या के भूमि उपयोग का विवरण

24.6 इस ब्लॉक में, प्राथमिक कार्यकर्ता को दिए गए सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या के विरुद्ध भूमि की सीमा, परिचालन स्थिति, परिचालन धारकों की संख्या, भूमि उपयोग आदि जैसे विवरण गांव रजिस्टर या उसके ज्ञान के आधार पर या आवश्यक

Block C: Details of Land Use of Survey/ Sub-Survey Number	
Sl No.	1
Survey/Sub-Survey No.	
Extent of Land	0.0000
Status of Land Use	Select ▼
land usage type	▼
Operational Holder	▼
No. of Opr. Holders	
DELETE CONFIRM	
Total Extent of Land	0.0000
10. Remarks :	

स्थानीय पूछताछ या घर-घर जाकर पूछताछ करने के बाद भरना चाहिए। यदि भूमि रिकॉर्ड से निकाले गए डेटा का उपयोग किया जाता है, तो इस ब्लॉक में कुछ फ़िल्ड (राज्य से राज्य में भिन्न) पहले से भरे हुए (या उपलब्ध) होंगे और छूट गए फ़िल्ड को अपडेट करेंगे।

मद 1: क्रम संख्या (क्रमांक)

24.6.1 यहाँ, क्रमांक खाता संख्या के कुल सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या में से सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या के क्रम को दर्शाता है। अतः ब्लॉक ग के मद 11 में अंकित क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर क्रमांक 11 तक का क्रमांक अंकित किया जाना चाहिए।

मद 2 और 3: सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या और भूमि की सीमा

24.6.2 ब्लॉक बी के मद 2 में दिए गए खाते के लिए सभी सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्याएं चाहे उनके क्षेत्र के साथ खेती की गई हो या नहीं, इन मदों के तहत दर्ज की जानी चाहिए (या अद्यतन करें यदि पहले से भरे के रूप में

उपलब्ध होने पर)। प्राथमिक कार्यकर्ता खतौनी, पट्टा रजिस्टर, बी.1 फॉर्म, ग्राम फॉर्म 8 (ए) और फसल रजिस्टर जैसे बुनियादी ग्राम भूमि अभिलेखों का उपयोग कर सकता है, जिन्हें खसरा रजिस्टर/खसरा गिर्दवारी/अदंगल/ग्राम फॉर्म VII से XII/पहानी पत्रक, आदि के रूप में भी जाना जाता है। खतौनी एक रजिस्टर है, जो उन व्यक्तियों की सूची देता है जिनके पास स्वामित्व वाले क्षेत्र के साथ-साथ भूमि है।

मद 4: भूमि उपयोग और भूमि उपयोग प्रकार की स्थिति:

24.6.3 यह आवश्यक नहीं है कि सर्वेक्षण/उप सर्वेक्षण संख्या (मद 3) का पूरा क्षेत्र खेती के अधीन हो। कुछ क्षेत्र को गैर-कृषि उपयोग में लाया जा सकता है या यह कृषि योग्य अपशिष्ट आदि हो सकता है। प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या के लिए, संचालित क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी यदि केवल आंशिक क्षेत्र में खेती की जाती है। प्राथमिक कार्यकर्ता को यह चुनना चाहिए कि सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या के सामने दर्ज भूमि का क्षेत्र क्रमशः कोड 1 या 2 का उपयोग करके संदर्भ वर्ष 2021-22 के दौरान 'संचालित' है या 'संचालित नहीं' है।

24.6.4 तथापि, यदि सर्वेक्षण संख्या के अंतर्गत क्षेत्र संदर्भ वर्ष 2021-22 के दौरान वर्तमान परती क्षेत्र के अंतर्गत है लेकिन पिछले वर्ष में खेती की गई थी, तो इसे भी 'संचालित' माना जाना चाहिए। यहां, भूमि के क्षेत्रफल या सीमा को 'संचालित' माना जाता है यदि भूमि पर खेती की जाती है या संदर्भ वर्ष के दौरान वर्तमान परती क्षेत्र बना रहता है, अन्यथा इसे 'संचालित नहीं' माना जा सकता है।

24.6.5 यदि भूमि उपयोग की स्थिति 'संचालित' है (मद 4 में कोड 1), तो मद 7 (अर्थात भूमि उपयोग प्रकार) भी सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अक्षम हो जाएगा। यदि भूमि उपयोग की स्थिति 'संचालित नहीं' है (मद 4 में कोड 2), तो मद 5 (ऑपरेशनल होल्डर) और 6 (ऑपरेशनल होल्डर की संख्या) सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अक्षम हो जाएगा।

मद 5: परिचालन धारक (भूमि का परिचालन कौन कर रहा है)

24.6.6 यह मद 6 'ऑपरेशनल होल्डर' तभी भरा जाना चाहिए जब दिए गए सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या (मद 2) का क्षेत्र 'संचालित' हो (मद 4 में कोड 1)। एक ऑपरेशनल होल्डर वह होता है जो वास्तव में भूमि का संचालन करता है न कि मालिक। यदि स्वामी ने अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दी है, तो इन सर्वेक्षण संख्याओं और उनके क्षेत्रों को उस व्यक्ति के नाम के सामने दिखाना होगा जिसने भूमि पट्टे पर ली है और वास्तव में भूमि का संचालन कर रहा है। यहां, प्राथमिक कार्यकर्ता को निम्नलिखित कोड का उपयोग करके वास्तविक स्थिति के रूप में वास्तविक स्थिति दर्ज करनी चाहिए कि कौन भूमि का संचालन कर रहा है:

- (i) स्वामित्व और स्व-संचालित के लिए 1,
- (ii) मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए 2 लेकिन एक ही घर के भीतर,
- (iii) लीज-आउट के लिए 3,

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

(iv) अन्यथा संचालित के लिए 4

24.6.7 भूमि अलग-अलग शर्तों पर लीज-इन या लीज-आउट हो सकती है जैसे कि एक निश्चित राशि, निश्चित मात्रा में उपज, उपज का हिस्सा आदि के लिए 'अन्यथा संचालित' में वह भूमि शामिल है जो न तो स्वामित्व में है और न तो लीज-इन या न ही लीज-आउट में है लेकिन ऑपरेशनल होल्डर द्वारा संचालित है। ऐसी भूमि में अतिक्रमण, जबरन कब्जा, अनधिकृत कब्जा, विवादाधीन भूमि आदि शामिल हो सकते हैं।

पिछली संगणनाओं के परिणामों से यह स्पष्ट है कि कुछ राज्यों में, 'अन्यथा प्रचालित' भूमि को या तो अनदेखा कर दिया गया था अथवा ठीक से रिपोर्ट नहीं किया गया था अथवा गलत तरीके से लीज-इन या लीज-आउट के रूप में शामिल किया गया था।

24.6.8 इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां भूमि का एक भाग पिता के नाम पर है, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने जमीन का विभाजन किया है, यद्यपि यह कानूनी तौर पर कागज पर नहीं है, और **स्वतंत्र रूप से अलग-अलग हिस्से का प्रचालन कर रहे हैं और अलग घरों में रह रहे हैं।** ऐसे मामलों को कई अलग-अलग जोतों के रूप में माना जाना चाहिए, जैसा कि कानूनी स्थिति के बजाय वास्तविक स्थिति में पाया जाता है, जहां-केवल एक ही जोत है। ऐसे मामलों को 'मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति लेकिन एक ही घर के भीतर' के रूप में माना जाना चाहिए।

24.6.9 कुछ मामलों में, भूमि का एक भाग पर एक पिता का स्वामित्व है, लेकिन उसके बेटे/बेटियों द्वारा प्रचालित होता है, यद्यपि कानूनी रूप से कागज पर नहीं, जो एक ही घर में रह रहे हैं अर्थात् वे आम तौर पर एक साथ रहते हैं और एक आम रसोई से अपना भोजन लेते हैं। ऐसे मामलों को 'मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति लेकिन एक ही घर के भीतर' के रूप में माना जाना चाहिए।

Block C: Survey/Sub-Survey Number wise Land Use	
Sl No.	1
Survey/Sub-Survey No.	11
Extent of Land	2.0000
Status of Land Use	2 - Not Operated ▼
land usage type	Select ▼
Delete Cancel	

मद 6: सर्वेक्षण संख्या का प्रचालन करने वाले परिचालनात्मक धारकों की संख्या

24.6.10 प्राथमिक कार्यकर्ता को इस मद के तहत सर्वेक्षण संख्या का प्रचालन करने वाले परिचालनात्मक धारकों की कुल संख्या दर्ज करनी चाहिए।

मद 7: भूमि उपयोग प्रकार

24.6.11 यह मद 7 'भूमि उपयोग प्रकार' तभी भरा जाना चाहिए जब दिया गया सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या (मद 2) 'संचालित नहीं है' (मद 4 में कोड 2)। इस मद में, वनों के लिए कोड 1, गैर-कृषि उपयोग के लिए 2,

बंजर और अकृषि भूमि के लिए 3, स्थायी चारागाह और अन्य चराई भूमि के लिए 4, विविध वृक्ष फसलों के तहत भूमि के लिए 5, कृषि योग्य बंजर भूमि के लिए 6 और पुरानी परती के लिए 7 भरें। संचालित और संचालित नहीं की अवधारणाओं की व्याख्या अनुबंध-V में की गई है।

प्राथमिक कार्यकर्ता ब्लॉक-सी की इस विंडो में सभी मद भरने के बाद, दर्ज या भरे हुए डेटा को कन्फर्म बटन पर क्लिक करके सेव करना होता है।

ब्लॉक डी-सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण प्रचालन धारक का संख्या-वार विवरण

24.7 यह ब्लॉक तभी भरा जाएगा जब क्षेत्र का 'प्रचालन' मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं (रिकॉर्ड के अनुसार) किया जाता है अर्थात् ब्लॉक सी के मद 6 में कोड 2 या 3 या 4 है। यहां प्राथमिक कार्यकर्ता प्रचालन धारकों (रिकॉर्ड में मालिक के अलावा) का विवरण भरेगा जो वास्तव में अपने ज्ञान के आधार पर अथवा आवश्यक स्थानीय पूछताछ या घर-घर पूछताछ करने के बाद संदर्भ वर्ष 2021-22 के दौरान भूमि की खेती या प्रचालन कर रहा है। ब्लॉक-सी विंडो में ब्लॉक-डी बटन पर क्लिक करने के बाद, ब्लॉक-डी के लिए एक नई विंडो पॉप-अप होगी जिसमें प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या के सामने प्रचालन धारकों का विवरण भरना होगा। इस विंडो में, ब्लॉक-सी में भरी गई जानकारी के अनुसार पहली दो पंक्तियाँ (अर्थात् सर्वेक्षण संख्या और भूमि का विस्तार) प्रदर्शित की जाएंगी।

मद 1: प्रचालन धारक की क्रम संख्या

24.7.1 यहां, क्रमांक ब्लॉक-सी में दर्ज किए गए सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या को प्रचालित करने वाले कुल प्रचालन धारकों में से प्रचालन धारक की संख्या के क्रम को दर्शाता है। इसलिए, 1 से शुरू होकर प्रचालनात्मक भू-जोतधारक की कुल संख्या तक का रनिंग सीरियल नंबर यहां दर्ज किया जाना चाहिए।

मद 2: भूमि का विस्तार/हिस्सा:

24.7.2 इस मद में सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या या क्रमांक के सामने विभिन्न प्रचालन धारकों द्वारा प्रचालित भूमि का हिस्सा (%) / विस्तार (क्षेत्र) भरें। यहां, प्राथमिक कार्यकर्ता उपलब्ध ग्राम भूमि अभिलेखों जैसे खतौनी, पट्टा रजिस्टर, बी.1 फॉर्म, ग्राम फॉर्म 8 (ए) और फसल रजिस्टर का उपयोग कर सकता है, जिन्हें इस मद के तहत क्षेत्र को रिकॉर्ड करने या भरने के लिए खसरा रजिस्टर/खसरा गिरवारी/अदंगल/गांव फॉर्म VII-XII/पहानी पत्रक आदि भी कहा जाता है।

मद 3 और 4: प्रचालन धारक और पिता/पति का नाम नाम:

24.7.3 आसान पहचान के लिए मद 3 और 4 में प्राथमिक कार्यकर्ता को प्रचालन धारक के पिता/पति के नाम के साथ पूरा नाम दर्ज करना होगा जो वास्तव में जमीन का प्रचालन कर रहा है,

Survey No. 12
Extent of Land 2 0000 Acre Cent(4 dec)

Sl No. of 1

PREV NEXT

Extent/Share(%) of Land 2.0000

☐ Link

Name

Father/Husband's Name

Holding Type 2 - Joint

No. of Joint Holders

Gender Select

Social Group Select

Relationship with the owner Select

Type of lease Select

Aadhaar No.

Mobile No.

Place of Residence Select

DELETE SUBMIT

BACK

लिंक: यदि प्राथमिक कार्यकर्ता मालिक/प्रचालन धारक के नाम या पिता/पति के नाम का उपयोग करते हुए पिछले रिकॉर्ड के साथ वर्तमान रिकॉर्ड को जोड़ना चाहता है, तो वह लिंक विकल्प में उपलब्ध चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकता है और नाम या पिता/पति के नाम का चयन कर सकता है जिसके साथ मालिक/प्रचालन धारक वह इस रिकॉर्ड को जोड़ना चाहता है। नाम या पिता/पति के नाम या तो निकाले गए डेटा के माध्यम से सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं या प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा पिछले भरे गए रिकॉर्ड के आधार पर उपलब्ध हैं। एक बार जब प्राथमिक कार्यकर्ता रिकॉर्ड को मालिक/प्रचालन जोतधारक के नाम या पिता/पति के नाम के साथ लिंक करता है, तो ब्लॉक की शेष जानकारी का जोत प्रकार, लिंग, सामाजिक समूह आदि स्वचालित रूप से ऐप में भर जाएगी। इस मामले में प्राथमिक कार्यकर्ता को केवल जानकारी को अद्यतन या सत्यापित करना होता है।

मद 5: जोत प्रकार (व्यक्तिगत / संयुक्त / संस्थागत)

24.7.4 प्रचालन धारक की जोत का प्रकार, अर्थात्, व्यक्तिगत, संयुक्त या संस्थागत इस मद के तहत क्रमशः कोड 1, 2 या 9 का उपयोग करके दर्ज किया जाना चाहिए। सरकारी खेतों, गन्ना कारखानों/खेतों, चाय बागानों/कंपनियों द्वारा प्रचालित बागानों, सहकारी खेतों, स्कूल/मंदिर/चर्च/मस्जिद भूमि ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित आदि जैसे जोतों को संस्थागत माना जाना चाहिए। लेकिन वह भूमि जो संस्थाओं

द्वारा व्यक्तियों को पट्टे पर दी जाती हैं, तथापि, व्यक्तिगत जोत के रूप में मानी जानी चाहिए न कि संस्थागत जोत। साथ ही, व्यक्तियों द्वारा प्रचालित बागानों/चाय बागानों आदि को व्यक्तिगत जोत के रूप में माना जाना चाहिए।

24.7.5 पिछली संगणना के दौरान यह देखा गया था कि प्राथमिक श्रमिकों द्वारा संयुक्त जोत की परिभाषा को ठीक से समझने में कठिनाई होती थी। इसलिए, व्यक्तिगत और

संयुक्त जोत के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है। एक व्यक्तिगत जोत का प्रचालन अकेले या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मूल शर्त यह है कि ये व्यक्ति एक ही घर से संबंध रखते हों, अर्थात्, वे आम तौर पर एक साथ रहते हैं और एक आम रसोई से अपना भोजन लेते हैं जब तक कि किसी आवश्यक कार्य के कारण वे ऐसा नहीं करते यदि अलग-अलग परिवारों के दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भूमि का प्रचालन संयुक्त रूप से भागीदार के रूप में प्रचालित कर रहे हैं, तो केवल ऐसी जोत को प्रचालित क्षेत्र के केवल उस भाग के लिए संयुक्त जोत माना जाएगा। यदि एक ही घर के दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं और एक ही रसोई से भोजन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भूमि को दूसरों से स्वतंत्र रूप से प्रचालित कर रहे हैं, तो इन्हें दो या अधिक व्यक्तिगत जोत, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना जाएगा। कभी-कभी भूमि को रिकॉर्ड में संयुक्त खाता के रूप में दिखाया जाता है, भले ही अनौपचारिक विभाजन हो गया हो और व्यक्ति अलग-अलग रह रहे हों और स्वतंत्र रूप से अपने हिस्से में खेती कर रहे हों। ऐसे मामलों में, इसे संयुक्त जोत के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि व्यक्तिगत जोत के रूप में माना जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध एक संयुक्त खाता दिखाया गया है और कोई औपचारिक या अनौपचारिक विभाजन नहीं हुआ है, तो ऐसे संयुक्त खाते को व्यक्तिगत जोत के रूप में माना जाएगा न कि संयुक्त जोत।

मद 6: संयुक्त प्रचालन धारकों की संख्या:

24.7.6 यहां संयुक्त प्रचालन भू-धारक की संख्या दर्ज की जानी है, यदि जोत प्रकार 'संयुक्त' है अर्थात् मद 5 में कोड 2 है।

मद 7: लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)

24.7.7 यहां पुरुष के लिए कोड 1, महिला के लिए 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3 कोड का उपयोग करके प्रचालनात्मक भू-धारक का लिंग दर्ज करें। संस्थागत होल्डिंग के लिए इस मद में कोड 9 भरा जाएगा। एक संयुक्त होल्डिंग के मामले में जहां संयुक्त प्रचालन धारक अलग-अलग लिंग अर्थात् पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर से संबंधित हैं, प्रचालन धारक का लिंग जो होल्डिंग के प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने में हावी है, उसे यहां दर्ज किया जाना चाहिए।

मद 8: सामाजिक समूह (एससी/एसटी/अन्य/संस्थागत):

24.7.8 प्रचालन धारक जिस सामाजिक समूह से संबंधित है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य को यहां कोड 1 या 2 या 3 का उपयोग करके इंगित किया जाएगा। प्राथमिक कार्यकर्ता को अपने स्वयं की समझ से या आवश्यक स्थानीय पूछताछ या घर-घर जाकर पूछताछ करने के बाद इसे भरना चाहिए। एक संयुक्त होल्डिंग के मामले में जहां संयुक्त प्रचालन धारक विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित हैं, प्रमुख प्रचालन धारक के सामाजिक समूह जैसा कि मद 7 में दर्ज किया गया है, यहां दर्ज किया जाना चाहिए।

मद 9: मालिक के साथ संबंध

24.7.9 यह मद तभी भरी जाएगी जब ब्लॉक सी के मद 5 में कोड 2 या 3 हो। अधिकांश मामलों में मालिक स्वयं जमीन का प्रचालन करता है। तथापि, कुछ मामलों में, इसका प्रचालन मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया जा सकता है, लेकिन उसी घर के भीतर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसने इसे मालिक से पट्टे पर लिया है। मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रचालित भूमि के मामले में, लेकिन एक ही घर के भीतर और पट्टे पर ली गई, तब प्राथमिक कार्यकर्ता को मालिक के पति या पत्नी के लिए कोड 1, बच्चों के लिए 2, विवाहित बच्चों के पति या पत्नी के लिए 3, पोते के लिए 4, 5 नाती-पोतों के पति/पत्नी के लिए, 6 पिता/माता/ससुर/ससुर के लिए, 7 भाई/बहन/जीजा/भाभी के लिए, 8 अन्य रिश्तेदारों के लिए और अन्य के लिए 9 का चयन करना चाहिए।

मद 10: पट्टे का प्रकार (मौखिक/लिखित)

24.7.10 यह विकल्प तभी प्रदर्शित होगा जब ब्लॉक सी के मद 5 में कोड 3 हो अर्थात् यदि यह भूमि मालिक से पट्टे पर ली गई हो या तो लिखित समझौते के माध्यम से अथवा आपसी समझ से मौखिक तौर पर प्रचालित की जाती हो। क्षेत्र का प्रचालन स्वामित्व और स्व-प्रचालित/पट्टे पर/अन्यथा प्रचालित और/अथवा इन तीन प्रकार की जोतों का संयोजन हो सकता है। स्वामित्व, काश्तकारी और अन्यथा प्रचालित क्षेत्र की अवधारणाओं को अनुबंध-V में समझाया गया है। 'मौखिक काश्तकारी' सहित काश्तकारी की सटीक स्थिति को एकत्र करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा या तो जानकार व्यक्ति से आवश्यक स्थानीय पूछताछ के माध्यम अथवा घर के मुखिया/धारक के प्रचालक से उचित तरीके से पूछताछ करके किया जाना चाहिए। इस जानकारी को प्राप्त करते समय सूचना देने वाले को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इस जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय माना जाएगा और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। उसे यह भी बताया जाए कि संगणना के लिए प्रदान की गई जानकारी किसी के भी समक्ष प्रकट/प्रकट नहीं की जाएगी तथा न ही किसी न्यायालय में उपयोग की जाएगी और न ही कोई कर लगाने के लिए उपयोग की जाएगी। एन्युमेटर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काश्तकारी का विवरण अत्यंत सटीकता के साथ एकत्र किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी हैं। यदि किसी मालिक ने अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दी है, तो इन सर्वेक्षण नंबरों को क्षेत्रों के साथ उस व्यक्ति के नाम के सामने दिखाना होगा जिसने जमीन पट्टे पर ली है।

मद 11 एवं 12: प्रचालनात्मक भू-धारक का मोबाइल नंबर और आधार संख्या:

24.7.11 यदि उपलब्ध हो तो प्राथमिक कार्यकर्ता क्रमशः मद 11 और 12 में प्रचालन धारक के मोबाइल नंबर और आधार संख्या को रिकॉर्ड कर सकता है।

मद 13: निवास स्थान और पता:

24.7.12 प्राथमिक कार्यकर्ता को आवश्यक स्थानीय पूछताछ करने के बाद एकत्र की गई जानकारी के आधार पर प्रचालन धारक के निवास स्थान को दर्ज करना चाहिए या मद 13 में घर-घर पूछताछ के लिए उपयुक्त कोड का चयन करके निम्नानुसार दर्ज करना चाहिए:

कोड 1 यदि प्रचालनात्मक भू-धारक उसी गांव में रहता है।

कोड 2 यदि प्रचालनात्मक भू-धारक उसी तहसील (उप-जिला) के अन्य गांव में निवास कर रहा हो।

कोड 3 यदि प्रचालनात्मक भू-धारक तहसील (उप-जिला) के बाहर लेकिन राज्य के भीतर रह रहा हो।

कोड 4 यदि प्रचालनात्मक भू-धारक राज्य के बाहर रहता है।

कोड 5 अगर प्रचालनात्मक भू-धारक देश से बाहर रहता है।

- कोड 2 के मामले में, ड्रॉप डाउन मेनू से गांव का नाम चुनें।
- कोड 3 के मामले में, जिला, तहसील (उप-जिला) और गांव का नाम चुनें। यहां केवल जिले का नाम अनिवार्य है और तहसील (उप-जिला) और गांव का नाम वैकल्पिक है।
- कोड 4 के मामले में, राज्य, जिला और तहसील (उप-जिला) का नाम चुनें। यहां केवल राज्य का नाम अनिवार्य है और जिले और तहसील (उप-जिला) का नाम वैकल्पिक है।
- कोड 5 के मामले में, देश का नाम भरें।

ब्लॉक ई: संस्थान का विवरण

24.8 यह ब्लॉक तभी भरा जाएगा जब ब्लॉक बी या ब्लॉक डी का भू-जोत प्रकार कोड 9 हो। प्राथमिक कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल संस्थागत होलडिंग्स जैसे सरकारी खेतों,

Details of Institution	
Name	educational
Sector	1 - Public ▼
Nature of Business	(Optional)

गन्ना कारखानों/खेतों, कंपनियों, सहकारी खेतों के स्वामित्व और प्रचालित चाय बागानों पौध रोपण, ट्रस्ट आदि द्वारा प्रबंधित विद्यालय / मंदिर / चर्च / मस्जिद की भूमि को इस ब्लॉक में भरा जाए।

मद 1: संस्था का नाम

24.8.1 प्राथमिक कार्यकर्ता को उन संस्थानों का नाम भरना चाहिए जो अपनी जानकारी अथवा आवश्यक स्थानीय पूछताछ अथवा घर-घर जाकर पूछताछ करने के बाद प्राप्त सूचना के आधार पर दिए गए खाता अथवा सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या (अथवा अद्यतन

यदि पूर्व में भरी गई जानकारी उपलब्ध हो) के सापेक्ष भूमि पर स्वामित्व रखता हो अथवा प्रचालन करता हो।

मद 2: क्षेत्र

24.8.2 यहां, प्राथमिक कार्यकर्ता उस क्षेत्र का नाम दर्ज करेगा जिसमें संस्थान प्रचालित हो रहा है जैसे सार्वजनिक के लिए कोड 1, निजी के लिए कोड 2, सरकार के लिए कोड 3, ट्रस्ट के लिए कोड 4, एफपीओ के लिए कोड 5, सहकारी संस्थागत भू-जोत के लिए कोड 6।

मद 3: व्यवसाय की प्रकृति

24.8.3 यहां, प्राथमिक कार्यकर्ता को अपने ज्ञान के आधार पर या आवश्यक स्थानीय पूछताछ या घर-घर पूछताछ के आधार पर संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को रिकॉर्ड करना चाहिए। संस्था वर्तमान में जिस व्यवसाय की प्रकृति में संलग्न है वह शिक्षा, धर्म, कृषि आदि हो सकता है।

24.8.3.1 **टिप्पणी अनुभाग:** अनुसूची के सभी ब्लॉकों को सफलतापूर्वक भरने के बाद, प्राथमिक कार्यकर्ता इस टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रदान कर सकता है। यह रिमार्क विकल्प स्क्रीन के अंत में उपलब्ध है।

24.8.3.2 **रिकॉर्ड सहेजें:** एक बार जब प्राथमिक कार्यकर्ता ने शेड्यूल के सभी ब्लॉकों में सभी रिकॉर्ड भर दिए, तो उसे किसी भी डेटा हानि से बचने के लिए रिकॉर्ड्स को सहेजना होगा। ऐप के ऊपरी दाएं कोने में सेव का विकल्प दिया गया है जैसा कि नीचे दी गई इमेज में दिखाया गया है:



24.8.3.3 ऐप के ऊपरी बाएं कोने में उपलब्ध खोज विकल्प के तहत, प्राथमिक कार्यकर्ता अपने कार्य की प्रगति देख सकता है कि आवंटित गांव के लिए कितने रिकॉर्ड लंबित हैं और पूरे किए गए हैं।

भाग-घ: अनुबंध

ब्लॉक A1: पहचान का विवरण

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		2. जिला	
3. तहसील (उप-जिला)		4. ब्लॉक	
5. ग्राम कोड		6. गांव का नाम	
7. ग्राम एलजीडी कोड		8. गांव पिन कोड	
9. क्षेत्र इकाई		10. क्षेत्रफल इकाई का हेक्टेयर में परिवर्तन कारक *(3 दशमलव स्थानों में)	
11. पटवारी/प्राथमिक कार्यकर्ता का नाम		12. गांव का भौगोलिक क्षेत्र:	

नोट: उपरोक्त क्रमांक 8 पर क्षेत्र इकाई के मामले में, कृपया क्रमांक 9 पर '1' लिखें। कृपया यह भी ध्यान दें कि रूपांतरण कारक 3 दशमलव स्थानों में होना चाहिए, अर्थात् 2.471 एकड़ = 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ = 0.405 हेक्टेयर, 1 कनाल = 0.051 हेक्टेयर, 1 माला = 0.002 हेक्टेयर आदि।

ब्लॉक A2: गांव में कृषि अवसंरचना

क्रमांक	मद	स्थान कोड*
1.	कृषि आदानों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की खरीद के लिए निकटतम बाजार / दुकान।	
2	कृषि मशीनरी के लिए निकटतम कस्टम हायरिंग सेंटर	
3	निकटतम शीतागार/वेयर हाउस सुविधा	
4	कृषि उत्पाद बेचने के लिए निकटतम बाजार/मंडी सुविधा	

* स्थान कोड: 1-गाँव के भीतर, 2-गाँव के बाहर, लेकिन 5 किलोमीटर के भीतर, 3-गाँव के बाहर, लेकिन 10 किलोमीटर के भीतर, 4-गाँव के बाहर, लेकिन 20 किलोमीटर के भीतर, 5-गाँव के बाहर लेकिन 20 किलोमीटर से अधिक।

ब्लॉक A3: फील्ड अधिकारियों/पर्यवेक्षकों/जांचकर्ताओं से कोई टिप्पणी/टिप्पणियाँ

--

ब्लॉक B: निवारी और अनिवारी मालिकों की सूची

पहादार/मालिक													
क्र.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.												ब्लॉक एफ-1 या एफ-2 या एफ-3 या एफ-4 करें	
2.													
3.													

ब्लॉक C: भूमि उपयोग के सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण की संख्या का विवरण

खता संख्या	सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या	भूमि की सीमा	भूमि उपयोग की स्थिति	भूमि का (प्रचालन कौशल) कर रहा है (प्रचालनात्मक जोत धारक)	सर्वेक्षण संख्या का संचालन करने वाले प्रचालनात्मक जोत धारकों की संख्या	यदि कॉलम 4 में संचालित नहीं है, तो भूमि उपयोग का प्रकार
1	2	3	संचालित - 1 संचालित नहीं - 2	स्थायित्व और स्थ- संयोजित - 1 मालिक के अन्तः- अन्तः व्यक्ति के बीच डर के अन्तः - 2 नई मर चुके - 3 अन्यथा संचालित - 4	6	वन - 1 गैर-कृषि उपयोग (भवन, आदि) - 2 बंजर और असंस्कृत भूमि - 3 स्थायी चारागाह और अन्य चराई भूमि - 4 विविध वृक्ष वाली फसलों के अधीन भूमि - 5 सांस्कृतिक बंजर भूमि 6 पुरानी परती भूमि-7
1	2	3	4	5	6	7

महत्वपूर्ण निर्देश: (1) यदि यदि कोष्ठक 5 में 1 है तो अगले ब्लॉक को भरने की कोई जरूरत नहीं है। (2) यदि कोष्ठक 5 में 2 या 3 या 4, है तो केवल ब्लॉक घ भरें

ब्लॉक D: सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या के अनुसार प्रचालनात्मक जोत धारक का विवरण

खता नं० D: सर्वेक्षण/34-सर्वेक्षण संख्या के अनुसार प्रचालनात्मक जोत धारक का विवरण भरें

यदि ब्लॉक ग के कोष्ठक 5 में कोड 2,3 और 4 है, तो प्रचालनात्मक जोत धारक का विवरण भरें																													
खता नंबर(ब्लॉक ग के कोष्ठक 1 से कॉपी करें)		सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या(ब्लॉक ग के कोष्ठक 2 से कॉपी करें)		प्रचालनात्मक जोत धारक की क्रम संख्या		भूमि की सीमा / अंश		नाम		पिता का नाम		मोबाइल नंबर		आधार संख्या		यदि ब्लॉक ग का कॉलम 5 2 या 3 है तो भरें		जोत का प्रकार		यदि कोष्ठक 11 में कोड 2 है तो फिर संयुक्त जोत धारक की संख्या भरें		लिंग		सामाजिक समूह		निवास स्थान		कोष्ठक 15 में ब्लॉक एफ-1 में कोड-2 के मामले में, ब्लॉक एफ-2 में कोड 3 के मामले में, ब्लॉक एफ-3 में कोड 4 के मामले में और ब्लॉक एफ-4 में कोड 5 के मामले में पता विवरण अद्यतन करें।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

जॉय करें: ब्लॉक ग के कोष्ठक 3 में सर्वेक्षण की संख्या के कुल क्षेत्रफल सहित गोल करने वाले ब्लॉक-घ कोष्ठक 4 में सर्वेक्षण किए गए कुल क्षेत्रफल।

कोष्ठक 7 के लिए निर्देश : यदि मालिक की पत्नी - 1, बच्चे - 2, विवाहित बच्चों की पत्नी - 3, पोते - 4, नाती-पोतों की पत्नी - 5, पिता / माता / ससुर / सास - 6, भाई/बहन/जीजा/भाभी-7, अन्य रिश्तेदार-8, अन्य-9

ब्लॉक E: संस्थागत धारकों का विवरण

यदि ब्लॉक ख के कोष्ठक 5 में कोड-9 या ब्लॉक घ का कोष्ठक 9 है, तो संस्थागत धारक का विवरण भरें					
खाता संख्या (सर्वेक्षण/उप- सर्वेक्षण की संख्या)	संस्था का नाम	क्षेत्र	मुख्यालय का स्थान		व्यवसाय की प्रकृति
		सार्वजनिक = 1 निजी = 2 सरकारी = 3 ट्रस्ट = 4 एफपीओ = 5 सहकारी = 6	वही गांव - 1 इसी तहसील के अन्य गांव - 2 राज्य के भीतर तहसील राज्य के बाहर - 3 (उप-जिला) के बाहर - 4 बाहरी राज्य - 5 देश के बाहर - 5	कोष्ठक 3 में ब्लॉक एफ-1 में कोड-2 के मामले में, ब्लॉक एफ-2 में कोड 3 के मामले, ब्लॉक एफ-3 में कोड 4 के मामले में और ब्लॉक एफ-4 में कोड 5 के मामले में पता विवरण अद्यतन करें।	
1	2	3	4	5	6
				ब्लॉक एफ-1 या एफ-2 . या एफ-3 या एफ-4 भरें	

ब्लॉक F-1: तहसील (उप-जिला) में रहने वाले मालिक/प्रचालनात्मक जोत धारक के पते का विवरण

जब मालिक/ प्रचालनात्मक जोत धारक गांव के बाहर रह रहे हों (ब्लॉक ख, घ और ड. के क्रमशः कोष्ठक 8,12 और 4 में कोड 2 में)

ब्लॉक नाम	क्रम (पंक्ति) संख्या	गांव का नाम	ग्राम कोड					
1	2	3	4					

ब्लॉक F-2: राज्य के भीतर रहने वाले मालिक/प्रचालनात्मक जोत धारक के पते का विवरण

जब मालिक/प्रचालनात्मक जोत धारक गांव के बाहर रह रहे हों (ब्लॉक ख, घ और ड. के क्रमशः कोष्ठक 8,12 और 4 में कोड 3)

ब्लॉक नाम	क्रम (पंक्ति) संख्या	ज़िला*	तहसील (उप-जिला)	गांव
1	2	3	4	5

ब्लॉक F-3: राज्य के बाहर रहने वाले मालिक/प्रचालनात्मक जोत धारक के पते का विवरण

जब मालिक/प्रचालनात्मक जोत धारक गांव के बाहर रह रहे हों (ब्लॉक ख, घ और ड. के क्रमशः कोष्ठक 8,12 और 4 में कोड 4)

ब्लॉक नाम	क्रम (पंक्ति) संख्या	राज्य*	ज़िला	तहसील (उप-जिला)
1	2	3	4	5

ब्लॉक F-4: अपने देश से बाहर रहने वाले मालिक/प्रचालनात्मक जोत धारक का पता विवरण

जब मालिक/प्रचालनात्मक जोत धारक गांव के बाहर रह रहे हों (ब्लॉक ख, घ और ड. के क्रमशः कोष्ठक 8,12 और 4 में कोड 5)

ब्लॉक नाम	क्रम (पंक्ति) संख्या	देश
1	2	3

स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत धारक की संख्या और क्षेत्रफल (स्वतः सृजित)

1.राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						2.जिला		
3.तहसील (उप-जिला)						4.ब्लॉक		
5.ग्राम कोड						6.गांव का नाम		
7. ग्राम पिन कोड						8.क्षेत्र इकाई		
9. क्षेत्रफल इकाई का हेक्टेयर में परिवर्तन कारक						10. पटवारी का नाम/ प्राथमिक कार्यकर्ता		
** (उदशमलव स्थानों में)								

सामाजिक समूह: एससी/एसटी/अन्य/संस्थागत/कुल

क्रमांक	जोत का आकार (हेक्टेयर में)	प्रचालनात्मक जोत धारक की संख्या				प्रचालित क्षेत्र			
		व्यक्तिगत	संयुक्त	संस्थागत	कुल	व्यक्तिगत	संयुक्त	संस्थागत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.10 से कम	पु							
		म							
		ट्र							
		कु							
2	0.10 - <0.20	पु							
		म							
		ट्र							
		कु							
3	0.20 - <0.30	पु							
		म							
		ट्र							
		कु							
4	0.30 - < 0.40	पु							
		म							
		ट्र							
		कु							
5	0.40 - <0.50	पु							
		म							
		ट्र							
		कु							
6	0.50 -	पु							

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

क्रमांक	जोत का आकार (हेक्टेयर में)		प्रचालनात्मक जोत धारक की संख्या				प्रचालित क्षेत्र			
			व्यक्तिगत	संयुक्त*	संस्थागत @	कुल	व्यक्तिगत	संयुक्त*	संस्थागत @	कुल
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<1.00	म								
		रा								
		कु								
	सीमांत (1 - 6)	प								
		म								
		रा								
		कु								
7	1.00 - <2.00	प								
		म								
		रा								
		कु								
	लघु (7)	प								
		म								
		रा								
		कु								
8	2.00 - <3.00	प								
		म								
		रा								
		कु								
9	3.00 - <4.00	प								
		म								
		रा								
		कु								
	अर्ध- मध्यम (8 - 9)	प								
		म								
		रा								
		कु								
10	4.00 - <5.00	प								
		म								
		रा								
		कु								
11	5.00 - <7.50	प								
		म								
		रा								
		कु								
12	7.50 - < 10.00	प								
		म								

कृषि संगणना 2021-22: डेटा संग्रह अनुसूची के लिए निर्देशों की नियमावली

क्रमांक	जोत का आकार (हेक्टेयर में)	प्रचालनात्मक जोत धारक की संख्या				प्रचालित क्षेत्र			
		व्यक्तिगत	संयुक्त•	संस्थागत @	कुल	व्यक्तिगत	संयुक्त•	संस्थागत @	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ट्रां								
	कु								
	मध्यम (10 - 12)								
	पु								
	म								
	ट्रां								
	कु								
13	10.00 - < 20.00								
	पु								
	म								
	ट्रां								
	कु								
14	20.00 हेक्टेयर और अधिक								
	पु								
	म								
	ट्रां								
	कु								
	बड़ा (13 - 14)								
	पु								
	म								
	ट्रां								
	कु								
	सभी आकार वर्ग (1 से 14)								
	पु								
	म								
	ट्रां								
	कु								

नोट : यह सारांश प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए अलग से तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, संस्थागत और प्रत्येक गांव के लिए पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर/संस्थागत/प्रचालनात्मक जोत की कुल श्रेणियों के तहत।

पु - पुरुष

म - महिला

ट्रां - ट्रांसजेंडर

आई - संस्थागत जोत

कु - कुल पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और संस्थागत जोत

अवधारणाएं तथा परिभाषाएं

1. प्रचालनात्मक जोत धारक और स्वामित्व जोत धारक
 - 1.1 सभी भूमि जो पूर्ण या आंशिक रूप में कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है तथा अकेले एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना हक, कानूनी रूप, आकार या स्थान के संबंध में एक तकनीकी इकाई के रूप में प्रचालित की जाती है।
 - 1.2 सभी भूमि अर्थात् स्वामित्व वाली या कब्जे वाली या पट्टे पर दी गई भूमि जो स्वामित्व में है या मालिक के पास है जैसे कि एक व्यक्ति या उसके घर के अन्य सदस्यों के कब्जे में है।
2. तकनीकी इकाई
 - 2.1 तकनीकी इकाई को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो उसी प्रबंधन के अधीन होती है तथा श्रम बल, मशीनरी तथा पशुओं जैसे समान माध्यमों से प्रचालित होती है।
3. कृषि उत्पादन
 - 3.1 कृषि उत्पादन में खेत में उगाई गई फसलें, फल, अंगूर, बीज, पेड़, नर्सरी (जंगल के पेड़ों को छोड़कर), सब्जियां और फूल, कॉफी का उत्पादन, चाय, कोको, रबड़, जूट, तिलहन, चारा घास, आदि शामिल हैं।
 - 3.2 घास को फसल माना जाएगा अगर इसे उगाने में विशेष प्रयास किए जाते हैं।
4. प्रचालित क्षेत्र
 - 4.1 प्रचालित क्षेत्र में खेती तथा गैर खेती दोनों क्षेत्र शामिल हैं, बशर्ते कि संदर्भ अवधि के दौरान कृषि उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया गया है। उदाहरणतः यदि, एक प्रचालनात्मक जोत में चार सर्वेक्षण शामिल हैं जिनमें से एक सर्वेक्षण संख्या को गैर-कृषि उपयोग के लिए रखा गया है, तब प्रचालन जोत का कुल क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र के सभी चार सर्वेक्षण संख्याओं के बराबर होगा।
 - 4.2 इसमें जोत धारक के घर सहित कृषि इमारतों द्वारा कवर की गई भूमि भी शामिल होगी, बशर्ते कि ऐसी इमारतें प्रचालित क्षेत्र के भीतर हो। यदि कृषि इमारतें खेती वाले क्षेत्र के बाहर स्थित हैं और आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो ऐसी इमारतों को शामिल नहीं किया जाएगा।
 - 4.3 प्रचालित क्षेत्र में सरकारी वन्य भूमि, सरकारी बंजर भूमि, गाँव की सामान्य चारागाह भूमि,

आबादी वाला क्षेत्र आदि शामिल नहीं किया जाएगा। यदि सरकारी बंजर भूमि किसी को आवंटित की जाती है तो इसे जोत में शामिल किया जाएगा।

- 4.4 यदि वर्तमान वर्ष सहित दो वर्षों के लिए संपूर्ण भू-जोत क्षेत्र (प्रचालनात्मक जोत की सर्वेक्षण किया गया संपूर्ण क्षेत्र) गैर-कृषि उपयोग अथवा परती क्षेत्र के अधीन रहता है तो इसे प्रचालनात्मक जोत के रूप में नहीं माना जाएगा। तथापि संदर्भ वर्ष के दौरान प्रचालनात्मक जोत का संपूर्ण क्षेत्र परती क्षेत्र के अधीन रहता है लेकिन इस पर पिछले वर्ष में खेती की गई थी तो इसे अभी भी प्रचालनात्मक जोत के रूप में माना जाएगा। प्रचालनात्मक जोत में खेती योग्य और गैर खेती योग्य दोनों प्रकार की भूमि शामिल होगी। यदि बोया गया क्षेत्र और वर्तमान परती क्षेत्र दोनों शून्य हैं तो ऐसी जोत को प्रचालनात्मक जोत के रूप में नहीं माना जाएगा हालांकि, कुछ क्षेत्र भूमि उपयोग के वर्गीकरण के अन्य भाग (भागों) में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा, यदि संदर्भ वर्ष के दौरान संपूर्ण प्रचालित क्षेत्र आंशिक रूप से वर्तमान परती क्षेत्र के अधीन है तथा आंशिक रूप से गैर-कृषि उपयोग के अधीन है और पिछले वर्ष में यह परती क्षेत्र नहीं था तो ऐसी जोत को भी कृषि संगणना में प्रचालनात्मक जोत के रूप में शामिल किया जाएगा।
- 4.5 कुछ मामलों में, भूमि को परिवार के सदस्यों के बीच स्टालों के बीच विभाजित किया जाता है। जहां पति द्वारा परिवार के मुखिया के रूप में इसे पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के बीच विभाजित किया जाता है और इस पर खेती की जा रही है, तो ऐसी भूमि को उचित रूप से प्रचालनात्मक जोत के रूप में माना जा सकता है।
- 4.6 ऐसे मामले हो सकते हैं जब एक से अधिक सह-भागीदारों के नाम पर एक जोत संयुक्त रूप से दिखाई जाती है, जबकि व्यावहारिक रूप से भूमि निजी रूप से विभाजित हो सकती है और सह-भागीदार स्वतंत्र रूप से खेती कर रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां कोई विवाद नहीं है, वहां स्वतंत्र कृषकों की संख्या के रूप में उन्हें कई प्रचालनात्मक जोतों के रूप में माना जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि कृषि संगणना के आंकड़ों को खराब स्थिति के बजाय वास्तविक स्थिति के आधार पर एकत्र किया जाता है।
- 4.7 कुछ राज्यों में, जमाबंदी रजिस्टर में एक खाते के सामने तीन या चार व्यक्तियों के नाम दिखाए जाते हैं। जबकि अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि यह केवल एक जोत है, व्यवहार में, सभी तीन या चार व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र रूप से भूमि पर खेती कर रहे हैं, हालांकि भूमि का कोई कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। संगणना के दृष्टिकोण से, यह तीन या चार प्रचालनात्मक जोतों का गठन करेगा, जैसा भी मामला हो।
- 4.8 राज्य के जंगलों में खेती वाले क्षेत्रों, नोडेड भूमि अभिलेख तैयार किए जाते हैं। राजस्व अभिलेखों और राजस्व एजेंसी की अनुपस्थिति में ऐसे क्षेत्रों को संगणना उद्देश्यों के लिए बाहर रखा गया है।

4.9 प्रचालित क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- i) ज़मींदार और स्व-प्रचालित।
- ii) पट्टे पर भूमि
- iii) अन्यथा प्रचालित भूमि।

4.9.1 भूमि का स्वामित्व और स्व-प्रचालित: वह भूमि जिसके लिए किसान का अधिकार है शीर्ष स्थायी स्वामित्व योग्य अधिकार को स्वामित्व माना जाएगा। इसमें शामिल होंगे:

- i) सरकार या अन्य किसी से अनुदान या पट्टे पर या किसी योजना के तहत बिना हस्तांतरण के साथ स्थायी विरासत के अधिकार वाली भूमि
- ii) स्थायी पट्टे के तहत प्रचालित भूमि।

स्व-प्रचालित भूमि में शामिल होगी:

- (i) स्वयं खेती की जाने वाली भूमि
- (ii) परिवार के सदस्य द्वारा खेती की जा रही भूमि
- (iii) दिहाड़ी मजदूरों की मदद से खेती की जा रही भूमि प्रचालित भूमि में अन्य किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई भूमि में निम्नलिखित शामिल नहीं होनी चाहिए।

4.9.2 पट्टे पर ली गई भूमि: पट्टे पर ली गई भूमि को पट्टेदार के किसी स्थायी कब्जे के अधिकार के बिना दूसरों से पट्टे पर ली गई भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है निम्नलिखित के लिए भूमि पट्टे पर ली जा सकती है:

- i) निर्धारित धन
- ii) निर्धारित उपज
- iii) उपज का हिस्सा
- iv) सूदखोरी बंधक: संपत्ति का स्वामित्व गिरवी रखने वाले के पास रहता है लेकिन कब्जा जिसके पास भूमि गिरवी रखी गई है उसके पास होता है (अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास गिरवी रखा गया या दी गई है)। संपत्ति से होने वाली आय गिरवीदार को प्राप्त होती है और पूरी राशि की वसूली होते ही गिरवी रखने का करार समाप्त कर दिया जाता है।
- v) अन्य शर्तें: यह उपर्युक्त दो या इससे अधिक मदों का संयोजन हो सकता है।

4.9.3 अन्यथा प्रचालित क्षेत्र: इसमें अतिक्रमण, जबरन कब्जा की गई भूमि, अनधिकृत या विवादित भूमि आदि शामिल होंगे, जिसे ऊपर दी गई परिभाषाओं के अनुसार स्वामित्व या पट्टे पर नहीं माना जा सकता है।

5. प्रचालनात्मक जोत-धारक

- 5.1 एक प्रचालनात्मक जोत-धारक वह व्यक्ति होता है जिसके पास कृषि जोत के प्रचालन की जिम्मेदारी होती है और जो तकनीकी पहल करता है और इसके प्रचालन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके पास पूरी आर्थिक जिम्मेदारी हो सकती है या वह इसे दूसरों के साथ साझा कर सकता है। प्रचालनात्मक जोत-धारक व्यक्तिगत/संयुक्त/संस्थागत हो सकता है।
- (i) व्यक्ति: यदि जोत या तो अकेले एक व्यक्ति द्वारा प्रचालित की जा रही है या उन व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रचालित की जा रही है जो एक ही परिवार के सदस्य हैं तो इसे व्यक्तिगत जोत माना जाएगा।
 - (ii) संयुक्त: यदि अलग-अलग परिवारों से संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्ति, कृषि जोत के प्रचालन के लिए आर्थिक और तकनीकी जिम्मेदारी में संयुक्त रूप से भागीदार के रूप में साझा हैं, तो ऐसी जोत को संयुक्त माना जाएगा।
 - (iii) संस्थागत: सरकारी खेतों, गन्ना कारखानों/खेतों, सहकारी खेतों, ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित भूमि जैसी जोत को संस्थागत माना जाएगा।

6. निवासी, अनिवासी और मानित निवासी प्रचालनात्मक जोत-धारक

- 6.1 किसी विशेष गांव में रहने वाले और एक ही तहसील (उप-जिले) के भीतर किसी भूमि पर खेती करने वाले सभी किसान उस गांव के निवासी किसान हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वे उस गांव में खेती कर रहे हैं या नहीं। निवासी कृषक में या तो शामिल होंगे: (i) कृषक के निवास ग्राम में स्थित जोत का संपूर्ण क्षेत्र; (ii) आंशिक रूप से निवास किए जाने वाले ग्राम के भीतर और आंशिक रूप से इसके बाहर; या (iii) पूरी तरह से निवास किए जाने वाले ग्राम के बाहर।
- 6.2 तहसील (उप-जिला) के बाहर एक प्रचालनात्मक जोत-धारक का प्रचालन क्षेत्र जिसमें उसका निवास स्थान पड़ता है, कृषि संगणना के उद्देश्य से इस तहसील (उप-जिला) में उनके निवास गांव के किसान के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे उस तहसील (उप-जिले) के उस गांव के निवासी किसान के रूप में माना जाएगा।
- 6.3 यदि किसी विशेष गाँव का क्षेत्र एक कृषक द्वारा प्रचालित किया जाता है जो उस गाँव के बाहर रहता है, लेकिन उसी तहसील (उप-जिले) के भीतर रहता है, तो वह उस क्षेत्र के लिए एक अनिवासी प्रचालनात्मक जोत-धारक है। हालांकि, यदि यह प्रचालनात्मक जोत-धारक तहसील (उप-जिले) के बाहर स्थित गाँव का निवासी है, जिसमें वह क्षेत्र स्थित है, तो उसे उस गाँव का निवासी प्रचालनात्मक जोत-धारक (डीमंड रेजिडेंट) माना जाएगा जहाँ वह क्षेत्र तहसील (उप-जिला) में स्थित है।

7. पूर्ण/आंशिक-जोत

- 7.1 किसी जोत को पूर्ण जोत कहा जाता है यदि उस जोत का पूरा प्रचालित क्षेत्र एक गांव में स्थित है। यदि प्रचालित क्षेत्र एक से अधिक गांवों में फैला हुआ है, तो इसे आंशिक-जोत माना जाएगा।
- 7.2 तहसील (उप-जिला) को आंशिक-जोत के समेकन के लिए बाहरी सीमा के रूप में लिया जाएगा।

8. भूमि उपयोग:

- 8.1 प्रत्येक सर्वेक्षण/उप सर्वेक्षण संख्या को खेती वाले क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाएगा न कि खेती वाले क्षेत्रफल में। सर्वेक्षण संख्या के पूरे क्षेत्र को खेती के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही सर्वेक्षण संख्या का केवल एक हिस्सा खेती/वर्तमान परती क्षेत्र में किया गया हो। किसी वर्ष के दौरान सर्वेक्षण संख्या में कोई खेती नहीं होने पर इसे केवल खेती नहीं किए गए क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। फिर जोत के सभी सर्वेक्षण संख्या पर विचार करके जोत के प्रचालित क्षेत्र का पता लगाया जाएगा और इसमें उसकी जोत के सभी सर्वेक्षण संख्याओं का क्षेत्र शामिल होगा, बशर्ते कि सर्वेक्षण संख्या में से कम से कम एक ने आंशिक रूप से या पूरी तरह से खेती की सूचना दी हो। इसलिए प्रचालित क्षेत्र में तीन व्यापक श्रेणियां शामिल होंगी:

- i) निवल बोया गया क्षेत्र
- ii) वर्तमान परती
- iii) खेती की गई जोत के भीतर खेती नहीं किया गया क्षेत्र।

- 8.3 निवल बोया गया क्षेत्र: फसलों और बागों के साथ बोया गया कुल क्षेत्रफल, गणना क्षेत्र एक ही वर्ष में एक से अधिक बार, केवल एक बार बोया गया।

- 8.4 वर्तमान परती: फसलकृत क्षेत्र, जिसे चालू वर्ष के दौरान परती रखा जाता है लेकिन पिछले वर्ष में खेती की जाती थी। उदाहरण के लिए, किसी भी अंकुरण वाले क्षेत्र में उसी वर्ष फसल नहीं होती है, इसे वर्तमान परती क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है।

खेती नहीं की गई/प्रचालित नहीं की गई जोत: न तो सर्वेक्षण/उप सर्वेक्षण की गई संख्याएं और न ही खेती की गई जोत को निम्नलिखित व्यापक भूमि उपयोग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि एक सर्वेक्षण संख्या के भीतर एक से अधिक भूमि उपयोग प्राप्त होते हैं, तो ऐसे प्रमुख भूमि उपयोग का कोड भरा जाएगा:

- i) **वन:** वनों से संबंधित किसी भी कानूनी अधिनियम के तहत 'वन' के रूप में वर्गीकृत

सभी भूमि या वनों के रूप में प्रशासित, चाहे राज्य के स्वामित्व वाले हों या निजी और चाहे जंगली या संभावित वन भूमि के रूप में बनाए रखा गया हो। वन क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का क्षेत्र और चरागाह भूमि या जंगलों के भीतर चराई के लिए खुला क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

- ii) **गैर-कृषि उपयोग के तहत क्षेत्र:** इमारतों, सड़कों और रेलवे के कब्जे वाली या पानी के नीचे की सभी भूमि। उदाहरणतः तालाबों, नदियों और नहरों या कृषि के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- iii) **बंजर और अकृष्य भूमि:** सभी बंजर और अकृष्य भूमि जैसे पहाड़, रेगिस्तान, आदि। जो भूमि अत्यधिक लागत के अलावा खेती के तहत नहीं लाई जा सकती है, उसे अकृष्य भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, चाहे वह भूमि अलग-अलग ब्लॉकों में हो या कृषि जोतों के भीतर हो।
- iv) **स्थायी चरागाह और अन्य चरागाह भूमि:** सभी चराई भूमि, चाहे वह स्थायी चरागाह/घास का मैदान हो या नहीं। इस श्रेणी के अंतर्गत गांव की सामान्य चराई भूमि को शामिल किया जाएगा।
- v) **विविध वृक्ष फसलों के तहत भूमि:** खेती योग्य भूमि, जो कि निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ कृषि उपयोग के लिए रखी गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत कसूरीना वृक्षों के नीचे की भूमि, छप्पर वाली घास, बांस की झाड़ियाँ और ईंधन के लिए अन्य उपवन जो 'बगीचे' के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- vi) **कृषि योग्य बंजर भूमि:** खेती के लिए उपलब्ध सभी भूमि चाहे एक बार खेती के लिए उपयोग की गई हो या नहीं की गई हो, लेकिन पिछले पांच वर्षों या उससे अधिक समय के दौरान किसी न किसी कारण से इस पर चालू वर्ष सहित लगातार खेती नहीं की गई हो। ऐसी भूमि या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से झाड़ियों और जंगलों से आच्छादित हो सकती है, जिनका किसी प्रकार की खेती में उपयोग में नहीं होता है। एक बार खेती की गई लेकिन लगातार पांच साल तक खेती नहीं की गई भूमि को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसका मूल्यांकन किया या नहीं किया जा सकता है और यह दूर-दराज के ब्लॉकों में या खेती की गई जोतों के भीतर हो सकती है।
- vii) **वर्तमान परती (पुरानी परती) भूमि के अलावा अन्य परती भूमि:** सभी भूमि, जो खेती के लिए ली गई थी लेकिन अस्थायी रूप से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और पांच वर्ष से कम अवधि के लिए खेती से बाहर है।

स्वामित्व/प्रचालनात्मक जोत के विभिन्न पार्सल की पूर्लिंग/मानचित्रण की प्रक्रिया

जहां मालिक/प्रचालनात्मक धारक की जोत एक ही तहसील (उप-जिला) में एक से अधिक गांवों में फैली हुई है, वहां से प्रश्न उठता है कि किस क्षेत्र के लिए इसकी गणना की जाए। पिछली संगणना के अनुसार, मालिक/प्रचालनात्मक धारक का निवास आंशिक जोत के क्षेत्र के लेखांकन के लिए मानदंड होना चाहिए। यदि एक मालिक या किसान दो गांवों में जमीन का मालिक या प्रचालन कर रहा है, अर्थात् एक ही तहसील के ए और बी गांव में तो दोनों को तहसील (उप-जिला)/गांव ए में रहने वाले तालुका को गांव में स्वामित्व या प्रचालन के लिए गांव के क्षेत्र में जोड़ा जाना चाहिए। पिछली संगणना के मामले में आंशिक जोतों की पूर्लिंग के लिए बाहरी सीमा तहसील (उप-जिला)/तालुका होगी।

ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक तहसीलों (उप-जिले) में फैले गांवों में एक मालिक या एक किसान के पास भूमि का स्वामित्व/प्रचालन है, तो मालिक/किसान के निवास के आधार पर क्षेत्र की पहचान करने का प्रश्न उठता है। एक मालिक या एक किसान के पास तहसील (उप-जिला) ए और तहसील (उप-जिला) बी में भूमि का स्वामित्व/प्रचालन हो सकता है। क्षेत्रीय तहसील (उप-जिला) की पूर्लिंग के लिए बाहरी सीमा के बाद से, इन्हें इस विशेष मामले में दो स्वामित्व/प्रचालनात्मक जोत माना जाएगा। इसके अलावा, अगर तहसील (उप-जिला) बी तहसील (उप-जिला) में रहने वाले मालिक या किसान को, ऐसे मामलों में तहसील (उप-जिला) ए में स्वामित्व वाले या प्रचालन वाले मालिक या किसान का नाम जो तहसील (उप-जिला) बी में रहता है, को इस धारणा के तहत दोहराया जाएगा कि वह तहसील (उप-जिला) ए (तहसील (उप-जिला) का निवासी माना जाता है) में निवास कर रहा है। यदि ऐसे मालिक/संचालक के पास इस तहसील (उप-जिला) ए में दो या अधिक गांवों में जमीन है, तो प्रत्येक गांव की भूमि को प्रचालनात्मक सुविधा के लिए अलग स्वामित्व/प्रचालनात्मक जोत के रूप में माना जाएगा।

संस्थागत जोतों के मामले में भी, एक ही तहसील (उप-जिला) में एक से अधिक गांवों में क्षेत्र फैलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में एक गांव से अधिक क्षेत्र की चकबंदी का सवाल कुछ समस्याएं पैदा करता है। चूंकि तहसील (उप-जिला) को आंशिक जोत के समेकन के लिए अंतिम इकाई के रूप में तय किया गया है, यदि एक संस्थागत जोत का क्षेत्र एक गांव से अधिक फैलता है लेकिन इसका पूरा क्षेत्र तहसील (उप-जिला) के भीतर है, तो इसे एक संस्थागत जोत और क्षेत्र के रूप में उस गांव के लिए गिना जाएगा जिसमें उसका कार्यालय स्थित है। हालांकि, यदि यह एक तहसील (उप-जिला) से अधिक फैला हुआ है, तो तहसील (उप-जिला) के बाहर आने वाले क्षेत्र को एक अलग स्वामित्व/प्रचालनात्मक जोत के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि संस्थागत जोत, सरकारी फार्म, दो गांवों ए और बी में फैली हुई है और सरकारी फार्म का कार्यालय, यानी फार्म मैनेजर का कार्यालय गांव ए में स्थित है, तो गांव बी में सरकारी फार्म का क्षेत्र गांव ए को आवंटित किया जाएगा।

1	प्रश्न 1. निम्नलिखित में से एक को चुनिए और इसका अर्थ समझाइए। [अ] प्रेम, [ब] प्रीति, [क] प्रणय, [ख] प्रीति	उत्तर 1. प्रेम एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है। यह एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है।
2	प्रश्न 2. निम्नलिखित में से एक को चुनिए और इसका अर्थ समझाइए। [अ] प्रेम, [ब] प्रीति, [क] प्रणय, [ख] प्रीति	उत्तर 2. प्रीति एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है। यह एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है।
3	प्रश्न 3. निम्नलिखित में से एक को चुनिए और इसका अर्थ समझाइए। [अ] प्रेम, [ब] प्रीति, [क] प्रणय, [ख] प्रीति	उत्तर 3. प्रणय एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है। यह एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है।
4	प्रश्न 4. निम्नलिखित में से एक को चुनिए और इसका अर्थ समझाइए। [अ] प्रेम, [ब] प्रीति, [क] प्रणय, [ख] प्रीति	उत्तर 4. प्रीति एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है। यह एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है।
5	प्रश्न 5. निम्नलिखित में से एक को चुनिए और इसका अर्थ समझाइए। [अ] प्रेम, [ब] प्रीति, [क] प्रणय, [ख] प्रीति	उत्तर 5. प्रेम एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है। यह एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है।
6	प्रश्न 6. निम्नलिखित में से एक को चुनिए और इसका अर्थ समझाइए। [अ] प्रेम, [ब] प्रीति, [क] प्रणय, [ख] प्रीति	उत्तर 6. प्रीति एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है। यह एक भाव है जो दो लोगों के बीच होता है।

उत्तर.	अन्यथा प्रचालित क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि, जबरन कब्जा की गई भूमि, अनधिकृत या विवादित भूमि आदि शामिल हैं, जिसे स्वामित्व या पट्टे पर स्वामित्व के तहत स्वामित्व के तहत नहीं माना जा सकता है।
प्रश्न.7	क्या जंगल में अवैध रूप से प्रचालित क्षेत्र की गणना कृषि संगणना के उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए?
उत्तर.	- राज्य के जंगलों में खेती वाले क्षेत्रों के लिए किसी भी प्रकार के भू-रिकॉर्ड तैयार नहीं किए जाते हैं। - राजस्व अभिलेखों के अभाव में ऐसे क्षेत्रों को कृषि संगणना के उद्देश्य से बाहर रखा गया है।
प्रश्न.8	क्या सरकारी भूमि की गणना प्रचालित क्षेत्र के रूप में की जाती है?
उत्तर.	- प्रचालित क्षेत्र में सरकारी वन भूमि, सरकारी बंजर भूमि, गाँव की सामान्य चराई भूमि, आबादी क्षेत्र आदि को शामिल किया जाएगा। - तथापि, यदि सरकारी बंजर भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित की जाती है तो उसे जोत में शामिल किया जाएगा।
प्रश्न.9	यदि भूमि का पूरा/भाग सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है, लेकिन अभी भी संदर्भ अवधि के दौरान धारक द्वारा उस पर खेती की जा रही है, तो क्या उसे अभी भी जोत के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए?
उत्तर.	यद्यपि भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है, लेकिन संदर्भ अवधि के दौरान भूमि कृषि रूप से प्रचालित होती है, इसे प्रचालन जोत के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए और क्षेत्र को अन्यथा प्रचालित के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
प्रश्न.10	एक व्यक्ति के पास स्वामित्व या पट्टे पर अंतर्देशीय है। तथापि, रेलवे ट्रैक/स्टेशन से सटी भूमि पर खेती कर रहा है। क्या उसे प्रचालनात्मक धारक माना जाएगा?
उत्तर.	हां, ऐसे कृषकों की गणना प्रचालन धारक के रूप में की जानी चाहिए तथा उस क्षेत्र को अन्यथा प्रचालित भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा।
प्रश्न.11	यदि संपूर्ण क्षेत्र सन्दर्भ वर्ष वर्तमान परती के अंतर्गत आता है, तो क्या हम इस जोत की गणना कृषि संगणना के लिए करेंगे?
उत्तर.	यदि सन्दर्भ वर्ष के दौरान संपूर्ण क्षेत्र वर्तमान परती के अंतर्गत आता है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान इसमें से कुछ पर खेती की गई थी, तो इस जोत को प्रचालनात्मक के रूप में माना जाएगा। तथापि, यदि पिछले वर्ष के दौरान कोई कृषि गतिविधि नहीं हुई थी तो भी जोत की गणना नहीं की जाएगी।
प्रश्न.12	क्या भूमि का स्वामी अनिवार्य रूप से प्रचालन धारक है?

उत्तर.	• यदि भूमि का स्वामी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (अपने रिश्तेदारों आदि के माध्यम से और निर्णायक व्यक्ति के माध्यम से) भूमि पर खेती करता है, तो भूमि का मालिक प्रचालन धारक होगा। • यदि स्वामी जोतकर्ता नहीं है और भूमि पर (निर्णय लेने सहित) किसी और द्वारा खेती की जा रही है, तो भूमि पर जोतने वाले व्यक्ति की गणना प्रचालन धारक के रूप में की जाएगी, न कि स्वामी।
प्रश्न. 13	यदि भूमि पिता के नाम पर है लेकिन अनौपचारिक रूप से स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले बच्चों के बीच विभाजित है, तो ऐसे मामलों में प्रचालन धारक कौन होगा?
उत्तर.	• ऐसे मामलों में, बच्चों की संख्या के अनुसार कई प्रचालन धारक होंगे। • यदि पिता/माता भी भूमि के किसी भाग का प्रचालन कर रहे हैं तो उन्हें भी एक स्वतंत्र धारक के रूप में माना जा सकता है।
प्रश्न. 14	भूमि का मालिक भूमि पर किए गए कृषि क्रियाकलापों पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है, जो स्वतंत्र रूप से उसके/उसके भाई द्वारा प्रचालित है, लेकिन आय का हिस्सा प्राप्त करता है। इस मामले में प्रचालन धारक कौन होगा?
उत्तर.	• ऐसे में भाई प्रचालन धारक होगा। • प्रचालित क्षेत्र को उपज के हिस्से के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के रूप में दर्ज किया जाएगा।
प्रश्न. 15	जमीन का प्रचालन पति-पत्नी मिलकर करते हैं। इसमें पुरुष अथवा स्त्री दोनों में से जोत धारक कौन है?
उत्तर.	यदि निर्णयकर्ता व्यक्ति पति होगा तो वह पुरुष द्वारा प्रचालित जोत होगी। अन्यथा यह महिला द्वारा प्रचालित जोत होगी।
प्रश्न. 16	यदि पिता भूमि पर खेती कर रहा है (उदाहरण के लिए सभी बच्चे कहीं और/विदेश में कार्यरत हैं) तथापि भूमि का विभाजन बच्चों के बीच औपचारिक रूप से किया गया है, तो प्रचालन धारक कौन होगा?
उत्तर.	ऐसे मामलों में, पिता को प्रचालन धारक माना जाएगा।
प्रश्न. 17	क्या यह आवश्यक है कि एक प्रचालन धारक को पूर्णकालिक कृषिविद होना चाहिए?
उत्तर.	जी, हां। यह उनका फुल टाइम जॉब है। एक सरकारी कर्मचारी या एक व्यवसायी या किसी संगठन का कर्मचारी, जो अपने व्यवसाय में पूरी तरह से लगा हुआ है, एक प्रचालन धारक नहीं हो सकता है। यह एक स्वामित्व जोत है लेकिन प्रचालन धारक नहीं।
प्रश्न. 18	क्या वह व्यक्ति प्रचालन धारक हो सकता है जो व्यक्तिगत और संयुक्त धारक दोनों ही हो ?

उत्तर.	• धारक एक साथ व्यक्तिगत और संयुक्त दोनों हो सकते हैं। • उदाहरण के लिए, एक धारक के पास अपने द्वारा प्रचालित कुछ भूमि हो सकती है और किसी अन्य गांव (उसी ब्लॉक/तहसील (उप-जिला)) में कुछ भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्रचालित हो सकती है जो उसी घर का सदस्य नहीं है। • इस मामले में प्रचालन धारक को एक व्यक्ति और एक संयुक्त धारक के रूप में भी गिना जाएगा।
प्रश्न. 19	यदि कोई धारक कुछ भूमि को व्यक्तिगत रूप से (स्वामित्व वाली भूमि) प्रचालित कर रहा है और कुछ भूमि दो या दो से अधिक धारकों के साथ संयुक्त रूप से प्रचालित कर रहा है तो संबंधित जोतों को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा?
उत्तर.	स्वामित्व वाली भूमि को व्यक्तिगत माना जाएगा, और शेष को संयुक्त माना जाएगा।
प्रश्न. 20	एक राज्य में विभिन्न गांवों/तहसीलों (उप-जिलों) (जैसे कनाल-मरल्ला, सेंट आदि) में प्रचालित क्षेत्र को रिकॉर्ड करने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। क्या पूरे राज्य में माप की एक इकाई होना आवश्यक है?
उत्तर.	• तालिका-1 प्रत्येक गांव के लिए तैयार की जानी चाहिए। यदि गांव टी-1 हेक्टेयर के अलावा किसी अन्य इकाई में तैयार किया जाता है, तो इसे तहसील (उप-जिला)/जिले में जमा करने से पहले हेक्टेयर में परिवर्तित किया जाना चाहिए। टी-1 का एकत्रीकरण केवल हेक्टेयर में किया जाएगा। • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक तहसील (उप-जिला) के भीतर क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए केवल एक इकाई का उपयोग किया जाता है। • राज्यों में, जहां पूरे राज्य में क्षेत्र की इकाई के रूप में हेक्टेयर को अपनाना मुश्किल है, स्थानीय इकाइयों और माप की प्रणाली का उपयोग क्षेत्र को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है लेकिन तहसील (उप-जिला) से अंतिम कुल को केवल दशमलव प्रणाली में व्यक्त किया जाना चाहिए। • जोत के अंतर्गत क्षेत्र को स्थानीय इकाई में भरा जा सकता है, लेकिन दशमलव प्रणाली का उपयोग आंशिक भागों को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए "12 फीट 3 इंच x 12 फीट 6 इंच" आयामों के साथ प्लॉट का क्षेत्र "153.125 वर्ग फीट" [12/25 फीट x 12/5-फीट] के रूप में दिया जाना चाहिए।
